निःशुल्क / सस्ती शिक्षा

प्रतिबंध बढ़ेंगे, बलात्कार बढ़ेंगे, नियंत्रण बढ़ेगा

अधिकारों की शिक्षा को स्कूली शिक्षा में शामिल किया जाए

उम्र बढ़ाई गई तो बाल विवाह भी बढ़ेंगे। 18 वर्ष तक ही परिवार मुश्किल से रुकते हैं, यदि इसे 21 वर्ष तक बढ़ाया गया तो वे नहीं रुकेंगे।

सड़कों पर हिंसा नहीं और स्कूल में यौन उत्पीड़न नहीं

जल्द विवाह का कोई दबाव नहीं

हम चाहते हैं कि लड़के लड़कियां खुल कर मिल सकें, वे चाहें तो साथ रह सकें, और चाहें तो विवाह कर सकें, युवाओं को यह अधिकार होने चाहिएं, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है

हम खुलकर अपने साथी के साथ चर्चा कर सकें कि हम मां नहीं बनना चाहते

हमें अपने रिश्ते और यौनिकता को सुरक्षित तरीके और गरिमा के साथ जीने का मौका दो

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा में और अधिक विकल्प

सुरक्षित यातायात से सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो

मेरे शरीर पर मेरा अधिकार बिना किसी शर्म के

युवाओं की आवाज़ें – राष्ट्र स्तरीय रिपोर्ट

15 राज्य, लगभग 2500 युवा

विवाह की उम्र व अन्य मुद्दों की जांच के लिए स्थापित कार्यदल को प्रस्तुत ज्ञापन

जुलाई 2020

18 वर्ष की वर्तमान न्यूनतम उम्र के साथ भी युवाओं को इतनी समस्याएं हो रही हैं। अपने पसंद के रिश्तों में लड़कों को पोक्सो के अंतर्गत अपराधी बनाया जा रहा है।

हमें अपने परिवार से बात करने, विवाह में हमारी पसंद और चुनाव बताने की जगह मिलनी चाहिए। यह तभी हो सकेगा जब परिवार में खुला माहौल होगा।

निर्णय लेकर काम करने की क्षमता समय के साथ विकसित होती है, अचानक नहीं। हमें इसका अभ्यास बचपन से शुरु करना होगा, नहीं तो जो व्यक्ति 18 वर्ष उम्र में निर्णय नहीं ले पाते, वे 21 वर्ष उम्र में भी नहीं ले पाएंगे।

लड़कियों (सबसे ज़्यादा प्रभावित) ओर उनके माता–पिता के साथ विचा–विमर्श किया जाए

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को संबोधित किया जाए और लड़कियों के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए, उनके अवसरों को बंद किए बिना

काम के साथ–साथ पढ़ाई करने के विकल्प

कानून और समाज अलग–अलग चलेंगे तो माता–पिता को लड़कियों की ज़्यादा चिंता रहेगी; कानूनों के लिए कोई नियंत्रण और संतुलन नहीं बन पाएगा और न ही वे ज़मीनी स्तर पर लागू हो पाएंगे

हम अपने विवाह और जीवन से जुड़े सभी फैसले खुद लेना चाहते हैं

इस दुनिया में बच्चे को लाने की ज़िम्मेदारी मां और बाप दोनों की होती है इसलिए इसके लिए दोनों का तैयार होना ज़रूरी है। परिवारों और लड़कों को यह समझाने के लिए उनके साथ काम करना होगा।

लड़कियों के लिए बात करने और मिलकर सीखने के लिए सुरक्षित जगहें

शिक्षा और वास्तविक रोज़गार विकल्पों की उपलब्धता

हम से पूछो कि हमें क्या चाहिए

यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की गरिमापूर्ण और गोपनीय उपलब्धता

जब एक लड़का और लड़की अपनी पसंद से रिश्ता बनाते हैं, समाज उसे स्वीकार नहीं करता और वे भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं

प्रस्तावना

23 जून, 2020 को हमें ज्ञात हुआ कि भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने एक कार्यदल स्थापित किया है जो मातृत्व के समय उम्र, विशेषकर मातृ मृत्यु दर और पोषण स्तर से जुड़े मुद्दों की जांच करेगा, और उन्हें कानूनी जवाब देने के लिए 31 जुलाई, 2020 तक अपनी सिफारिशें जमा की जा सकती हैं।

इस कार्यदल को विवाह की उम्र और मातृत्व, जिसमें प्रमुख स्वास्थ्य, चिकित्सीय, कल्याण और पोषण के स्तर के साथ–साथ लड़कियों और युवतियों की उच्च शिक्षा के स्तर के बीच जुड़ावों की जांच करने की ज़िम्मेदारी दी गई है। इसको देखते हुए, 54 सामाजिक संस्थाओं, जो कि युवाओं के अधिकारों के क्षेत्र में काम करती हैं, जिसमें युवाओं को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर उनकी बात सुनने का अधिकार भी शामिल है, ने 26 जून 2020 को 'युवा आवाज़' नामक प्रक्रिया की शुरुआत की। इसके शुरू होने के तीन सप्ताह के अंदर, 'युवा आवाज़' के अंतर्गत 14 राज्यों में ग्रामीण, परि–शहरी, और शहरी क्षेत्रों के, मुख्यतः अति–हाशियाकृत समुदायों के 1700 से अधिक बच्चे, किशोर और युवा शामिल हुए। इनमें से कई व्यक्तिगत और सामूहिक *ऐक्टिविज़्म* में शामिल हैं। 'युवा आवाज़' अभियान का संचालन करने वाली संस्थाएं विभिन्न राज्यों और राष्ट्र स्तरीय समन्वयों में बाल अधिकारों, मानव अधिकार, जेन्डर समानता, सतत विकास, लोकतांत्रिक प्रशासन और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करती हैं।

सिद्धांत और प्रक्रियाएं

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उनको प्रभावित करने वाले हर मुद्दे पर सुने जाने का युवाओं का अधिकार एक मौलिक अधिकार माना जाता है। उनके अधिकार के अंतर्गत शामिल प्रावधानों और सुरक्षाओं की गुणवत्ता और प्रकृति सुनिश्चित करने के लिए, यह उन्हें ज़िम्मेदार लोगों के सामने अपनी बात कहने के लिए सशक्त करता है। इसका यह भी मतलब है कि युवाओं को उनके जीवन को प्रभावित करने वाली नीतियों और योजनाओं के विनियमन की प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार है; खुद का प्रतिनिधित्व करने या सभी न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रतिनिधित्व का अधिकार है; और अपने वर्तमान तथा भविष्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है।

लेकिन, वर्तमान समय में भारत में शायद ही ऐसे कोई मुख्यधारा संरचानाएं या प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें सरकार ने युवाओं की भागीदारी के अधिकार का पालन करने के लिए स्थापित किया हो। मौजूदा स्थिति में, **'युवा आवाज़'** टीम को जानकारी नहीं थी कि कार्यदल ने युवाओं के साथ कोई विचार–विमर्श करना तय किया था या नहीं। इसलिए **युवा आवाज़ राष्ट्रीय कार्यकारी दल** के लिए ज़रूरी हो गया कि वे एक ऐसी प्रक्रिया का नियोजन करें जिससे कि इस प्रक्रिया में शामिल संस्थाएं कार्यदल द्वारा जांच किए जा रहे मुद्दों पर युवाओं के साथ व्यापक स्तर पर विचार–विमर्श कर सकें और **'युवा आवाज़'** के लिए एक मंच स्थापित करें जिसे कार्यदल सुने। इस काम को, बहुत ही सीमित समय में, अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए, कोविड 19 की चुनौतियों का सामना करते हुए करना था।

शुरुआत करने के तीन सप्ताह के अंदर, 'युवा आवाज़' ने 14 राज्यों में 1700 युवाओं के साथ विचार–विमर्श का काम पूरा कर लिया। यह राज्य हैं ओडिशा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, तमिल नाड, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हरियाणा। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों के युवा इस में भाग नहीं ले सके क्योंकि वे अम्फान चक्रवात और बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित थे। यह युवा 12–22 वर्ष उम्र के बीच हैं, और कुछ युवा इससे बड़ी उम्र के भी थे, और यह सब विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हैं।

हांलाकि भागीदारी के अधिकार सार्वभौमिक हैं, **'युवा आवाज़'** प्रक्रिया ने हाशियाकृत समुदायों के युवाओं को प्राथमिकता दी, जो कि हर प्रकार की निर्णय प्रक्रिया से प्रणालीगत तरीके से दूर रखे जाते हैं। इसलिए, इस प्रक्रिया के अंतर्गत ज़ोर दिया गया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमज़ोर स्थितियों के युवाओं को शामिल किया जाए। इनमें गरीब ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गियों; अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों की बड़ी संख्या शामिल है।

सभी चुनौतियों का सामना करते हुए, युवाओं ने इन चर्चाओं में विमर्श के मुद्दों पर उत्साहपूर्वक भागीदारी की। कोविड के बावजूद, दूर से भागीदारी करने की तकनीकें न उपलब्ध होते हुए भी, अपनी दिहाड़ी छोड़कर भी – युवाओं ने उत्कृष्ट साहस, ईमानदारी और गहरी समझ के साथ अपना समय, अपने अनुभव और अपने विचार साझा किए।

उनकी भागीदारी सार्थक हो, इसके लिए इस प्रक्रिया को सुरक्षित और गैर–आलोचनात्मक माहौल में करना ज़रूरी था, जहां उनकी गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। यू.एन.सी.आर.सी. की धारा 12 इससे संबंधित हैः धारा 13 – जानकारी तलाशने, प्राप्त करने और बांटने का अधिकार; धारा 14 – सोच, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता; धारा 15 – जुड़ाव बनाने की स्वतंत्रता। यह सब मिलकर 'भागीदारी अधिकार' सुनिश्चित करते हैं।

'युवा आवाज़' प्रक्रिया का हिस्सा बने युवाओं को कार्यदल, उसके अनुबंध की शर्तों और उसके दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया गया। हमने इसकी पृष्ठभूमि स्थापित करने के लिए सबके साथ मिलकर एक नोट तैयार किया (परिशिष्ट 1) जिससे कि हम अपने लिए संदर्भ का एक दायरा बनाकर एक प्रश्नावली (परिशिष्ट 2) तैयार कर सकें, जो कि हमारी पूछताछ के प्रमुख मुद्दों को शामिल करती हो। इन्हें आसानी से उपयोग किया जा सके इसके लिए इनका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया।

युवाओं को इंटरव्यू, विषय–केन्द्रित सामूहिक चर्चाओं, गूगल सर्वे, जीवन कहानियों और मौखिक संदेशों के माध्यम से अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुछ संस्थाओं ने राज्य स्तरीय *वेबिनार* आयोजित किए जहां युवाओं ने एक ज़िले से दूसरे ज़िले के युवाओं से बात की और उनकी बातें सुनीं। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार, युवाओं के पास उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर इन चर्चाओं के तरीकों का चुनाव किया गया। बेहद सीमित समय होने के बावजूद, सभी संस्थाओं ने कोविड–19 के कारण पैदा हुई सभी चुनौतियों के बावजूद, सभी उपलब्ध संसाधन और तरीके जुटाकर जितने ज़्यादा युवाओं तक पहुंच सकती थीं, उनसे विमर्श किया।

उम्र के आधार पर उचित और संदर्भ–विशिष्ट प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने के लिए, अलग–अलग उम्र के युवाओं के लिए विवाह की उम्र को बढ़ाए जाने के प्रभाव समझने के लिए – उम्र, पृष्ठभूमि, जेन्डर, सामाजिक एवं आर्थिक हाशिएकरण के पहलुओं को प्रक्रिया में शामिल किया गया। उदाहराण के लिए, हमने देखा कि 15–18 वर्ष उम्र के युवाओं के संदर्भ में, विवाह की उम्र का मुद्दा इससे संबंधित है कि कानून होने के बावजूद, अभी भी बाल विवाह कितने व्याप्त हैं – जिनका सीधा कारण है अन्य बेहतर विकल्पों/ अवसरों की कमी; इसका संबंध इस वास्तविकता से भी है कि वर्तमान कानून उन्हें सुरक्षा देने के बजाए असल में उन्हें ही अपराधी मानता है। 18–21 वर्ष उम्र के युवाओं के संदर्भ में, ऊपर दिए गए सभी मुद्दे तो लागू होते ही हैं और साथ ही, विवाह से संबंधित निर्णय लेने के उनके अपने अधिकार का सवाल भी लागू होता है।

महत्वपूर्ण है कि इस प्रक्रिया में शामिल हुए युवा विभिन्न संघों, हमजोली समूहों, सामूहिक संगठनों का हिस्सा रहे हैं। उनका अपने जीवन और अपने समुदायों में कई चुनौतियों का सामना करने का निजि और संस्थागत इतिहास रहा है। इनमें से कई लोगों ने अपने पूरे समूह की ओर से बात कही। उनके विचारों का उनके विशिष्ट संदर्भ, वातावरण और आकांक्षाओं के संदर्भ में सम्मान किया गया और उसी संदर्भ में समझा गया।

उन्होंने यह चर्चा भी की कि जहां तक लड़कियों का सवाल है, जेन्डर समानता को केवल 'विवाह के समय उम्र' और 'प्रजनन' के संदर्भ में ही देखा जाता है और क्यों लड़कियों को बोझ समझा जाता है जिसे एक घर से दूसरे घर भेजा जाना है। इस विषय पर भी चर्चाएं हुईं कि विवाह के समय उम्र बढ़ाए जाने का संबंध 'सहमति की उम्र' से हो सकता है – और क्या इससे उनकी यौनिकता को और आपराधिक बना दिया जाएगा; क्या इसके कारण यौनिकता की जानकारी, सहयोग और मार्गदर्शन लेने पर युवाओं पर प्रतिबंध और बढ़ जाएंगे।

यह भी स्वीकारा गया कि समुदाय में विवाह और उससे संबंधित प्रथाओं को दिया जाने वाला महत्व रचा–बसा हुआ है। कम उम्र के विवाहों का समर्थन करने वाले समुदाय के कुछ सदस्यों के अपने निहित स्वार्थ हो सकते हैं (जैसे कि पैसा

उधार देने वाले और कुछ धार्मिक नेता)। तो कानून किस प्रकार से समुदाय के वैचारिक नेतृत्वकर्ताओं को संबोधित करेगा या नहीं, यह मुद्दा भी चर्चाओं में उभर कर आया।

लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और इस सुरक्षा का क्या मतलब है के विषय पर विस्तृत चर्चाएं हुईं। उन्होंने बात की कि किस प्रकार उनका व्यक्तिगत कल्याण उनके परिवारों और समुदायों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। कोविड का उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रभाव और युवाओं, उनकी सुरक्षा और कम उम्र विवाहों पर उसका क्या प्रभाव हो सकता है, इस विषय पर भी चर्चाएं हुईं। उनके मुद्दों को संबोधित करने की सरकार की ज़िम्मेदारी पर भी चर्चा की गई, जिसमें सभी की सुरक्षा के अधिकार शामिल हैं, चाहें वे विवाह करना चाहते हों या नहीं और किससे और कब विवाह करना चाहते हों।

उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा, सुरक्षित काम के अनुभवों के साथ पढ़ाई करने के अवसरों, लड़कियों और महिलाओं के लिए उपयोगी विकल्प के रूप में राष्ट्रीय ओपन स्कूल इंस्टिट्यूट को उच्च शिक्षा के अंतर्गत प्रभावकारी बनाए जाने पर कार्यदल द्वारा विचार किए जाने जैसे विषयों की भी समीक्षा की।

इन विमर्शों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने, उनके *प्रेज़ेन्टेशन* रिकॉर्ड करने और अन्य युवाओं, कार्यदल के सदस्यों और निर्णायक लोगों के साथ, यदि अवसर मिले तो, बैठकों और विमर्शों में भाग लेने में उनकी रुचि/इच्छा के लिए युवाओं की सहमति ली गई, (उनकी पहचान की गोपनीयता के साथ या उसके बिना)।

उनकी सहमति के साथ, आपके कार्यदल के अध्यक्ष को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें **'युवा आवाज़'** प्रक्रिया का परिचय देते हुए, कार्यदल के सदस्यों के साथ युवा प्रतिनिधियों की मुलाकात के लिए अनुमति भी मांगी गई थी। इस पत्र का संज्ञान लिया गया और हमें सूचित किया गया कि हम लिखित में अपने सुझाव दे सकते हैं। इसके बाद, **'युवा आवाज़'** के चार युवाओं को, कार्यदल के सचिवालय की ओर से, नीति आयोग के निर्देशक द्वारा आमंत्रित किया गया, कि वे सदस्यों के सामने अपनी बात रखें।

कार्यदल के साथ विमर्श में

17 जुलाई 2020 को, **'युवा आवाज़'** प्रक्रिया के चार प्रतिनिधियों ने आपके कार्यदल के साथ *वेबिनार* पर बात की। उनके नाम हैं दामिनी, हरदोई (उत्तरी ज़ोन), पी. फातिमाबी, बेल्लारी (दक्षिण ज़ोन), ममता जांगिड़, अजमेर (पश्चिम ज़ोन) और प्रियंका मुरमु, सराइकेला (पूर्व ज़ोन)। (परिशिष्ट 3 में उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है)। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को स्थापित मानदंडों के आधार पर चुना गया था – हाशियाकृत समुदाय के, *ऐक्टिविज़्म* की पृष्ठभूमि और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए।

विमर्श के दौरान, सभी युवाओं ने खुलकर, स्पष्ट तरीके से सभी कारणात्मक मुद्दों के बारे में अपने बिंदु दमदार तरीके से पेश किए। उन्होंने ध्यान दिलाया कि किस प्रकार गरीबी, विकल्पों की कमी, अधिकारहीनता, शिक्षा के अवसर न होने और रोज़गार के विकल्प न होने से उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार लड़कियों को बोझ, भार के रूप में देखा जाता है और इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने युवाओं के बीच सहमतिपूर्ण यौन संबंधों के आपराधीकरण के बारे में बात की, और कोविड का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है – ऐसे समय में उनके सहयोग के लिए क्या किया जा सकता है, इस विषय पर भी चर्चा हुई। कर्नाटक में बाल विवाहों को अवैध घोषित किए जाने के कारण हुए नकारात्मक अनुभव बांटे गए और किस प्रकार इससे स्थिति बेहतर होने के बजाए वास्तव में और ज़्यादा बिगड़ गई है। अपने अधिकारों और आकांक्षाओं के लिए उन्हें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इस विषय पर सभी ने खुल कर बात की। कुल मिलाकर, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात करते हुए समझाया कि विवाह की उम्र बढ़ाने से या तो समस्याएं बढ़ेंगी; या फिर इससे कोई परिणाम हासिल नहीं होगा, जब तक कि महिला विशक्तिकरण के मूल कारणों को संबोधित नहीं किया जाता।

इन चारों ज़ोन के प्रतिनिधियों ने जो प्रमाण साझा किए, वे भारत के 14 राज्यों के 1700 से अधिक युवाओं के साथ हुई बातचीत और सुझावों का ही प्रतिबिम्ब थे। हमने इन प्रमुख निष्कर्षों को चार खंडों में विभाजित किया है:

प्रमुख निष्कर्षः

1. विवाह की उम्र और इसको निर्धारित करने में कानून की क्या भूमिका है? युवाओं के क्या सुझाव हैं?

''यदि लड़कियों को 18 वर्ष उम्र से वोट देने का अधिकार हो सकता है तो अगर वह चाहे तो 18 वर्ष उम्र में विवाह क्यों नहीं कर सकती? 21 वर्ष तक उम्र बढ़ाने की क्या ज़रूरत है?'' (झारखंड)

''वास्तविकताओं में बदलाव लाए बिना केवल कानून में परिवर्तन करने से बाल विवाहों की संख्या बढ़ेगी। कानून में परिवर्तन करना हमारी वास्तविकताओं में परिवर्तन करने के बराबर नहीं है, हर परिवार के लिए वास्तविकताएं अलग होती हैं। सभी लड़कियों को शिक्षा की समान उपलब्धता होनी चाहिए और इसी से बाल विवाहों की संख्या में कमी सुनिश्चित की जा सकती है। लड़कियों को लड़कों के बराबर अवसर नहीं मिलते'' (कर्नाटक)।

'लड़कों और लड़कियों, दोनों के साथ आत्म–बोध पर सत्र किए जाने चाहिए, जिससे कि वे अपने सपनों को समझ सकें। अगर यह युवा सपने देख सकेंगे, तो वे कुछ भी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, चाहें उन्हें अपने माता–पिता का भी सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन उसके लिए युवाओं को अपने सपनों के बारे में स्पष्ट होना ज़रूरी है। अगर उन्हें नहीं पता होगा, तो वे अपने जीवन के बारे में कुछ सोचे बिना, वही करेंगे जो उनके माता–पिता कहते हैं।'' (गुजरात)

- जल्द एवं बाल विवाह के दो प्रमुख कारण बताए गएः लड़कियों के लिए शिक्षा के सीमित अवसर (28 प्रतिशत) और लड़कियों में अपनी पसंद के रिश्ते बनाने पर डर (27 प्रतिशत) – यह दोनों कारण ही परिवार और समाज द्वारा लड़कियों की आकांक्षाओं को कम महत्व दिए जाने की वास्तविकता को दर्शाते हैं।

- युवाओं का कहना था कि जहां कानून सामुदायिक मानदंडों के खिलाफ़ होता है, वहां वह बाल विवाहों की संख्या कम करने में प्रभावकारी नहीं होता, और असल में उसका उपयोग तभी किया जाता है जब समुदाय उसके उपयोग के माध्यम से अपने सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कानून में परिवर्तन का लड़कियों पर क्या प्रभाव होगा क्योंकि उन्होंने लड़कों का आपराधीकरण होते हुए देखा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके कारण परिवारों और समुदायों की ओर से नकारात्मक परिणाम होंगे और वे लड़कियों पर नियंत्रण और चौकीदारी बढ़ा देंगे – *'लड़कियों पर निगरानी बढ़ जाएगी'।*

2. लड़कियां जब तक चाहें तब तक पढ़ाई कैसे जारी रख सकती हैं?

''हांलाकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करता है, लेकिन लड़कियां कई कारणों से स्कूल जाना छोड़ देती हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है और इन मुद्दों के समाधान के लिए उपयुक्त कार्यवाही करनी ज़रूरी है। केवल विवाह की उम्र बढ़ाने ही नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई जारी रखने, व्यक्तित्व विकास, सेवाओं की उपलब्धता और रोज़गार–आधारित प्रशिक्षण पर उचित ध्यान देना ज़रूरी है।'' (ओडिशा)

''उच्च–स्तरीय शिक्षा का निजिकरण हो चुका है... अत्यधिक फीस के कारण हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। गरीब परिवारों की लड़कियां उच्च–स्तरीय शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकतीं, इसे निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए जिससे कि गरीब परिवारों की लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। युवतियों के लिए छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिससे कि वे पढ़ाई जारी रख सकें'' (तमिल नाड)

- कई युवाओं को लगता है कि अगर विवाह में विलंब किया जाए तो, संभवतः लड़कियां शिक्षा जारी रख सकेंगी और जल्द विवाह के कारण स्कूल छोड़ देने की दरों में कमी आएगी। लेकिन, ज़्यादातर युवाओं की सोच थी कि सक्षमकारी माहौल के बिना, अवसर उपलब्ध न होने और उच्च स्तरीय/व्यावसायिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता की स्थितियों के रहते, विवाह की उम्र में अनिवार्य बढ़ोतरी से लड़कियों की स्थिति में कोई फायदा नहीं होगा, जिन्हें अभी भी संभवतः घरेलू काम और ज़िम्मेदारियों के कारण घर पर ही रखा जाएगा।

- रेपिड गूगल सर्वे में, 27 प्रतिशत भागीदारों ने कहा कि लड़कियों के जल्द विवाह का कारण है कि उनके आगे पढ़ने के लिए अवसर उपलब्ध नहीं हैं, और फिर माता–पिता को डर रहता है कि वे अपनी पसंद के अंतरंग रिश्ते बना लेंगी (26 प्रतिशत) और तीसरा कारण है लड़कियों का सार्वजनिक जगहों पर यौन उत्पीड़न होने का डर (13 प्रतिशत)।

- बहु–राज्य सर्वे में, हाशियाकृत समुदायों के युवाओं ने ज़ोर देकर कहा कि विवाह की उम्र में विलंब के साथ–साथ, लड़कियों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए अवसर बढ़ाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

- ज़्यादातर युवाओं ने बताया कि वे विवाह कुछ विलंब से करने की इच्छा रखते हैं लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विशेषकर लड़कियों के लिए, शिक्षा में रुकावट या ऊंची कीमतें या उपलब्धता न होना कारण बन जाता है कि माता–पिता उनकी शिक्षा से ध्यान हटाकर उनके विवाह के बारे में सोचने लगते हैं।

3. युवाओं के जेन्डर, यौनिकता और जीवन–विकल्पों के अनुभव

''गांव के स्तर पर एक कमिटि होती है जो कि विवाह के बिना लड़की के गर्भवती हो जाने पर निर्णय लेती है और दूसरे स्तर पर स्थानीय पुलिस थाने में विवाह के लिए दोनों पक्षों को मनोवैज्ञानिक सलाह दी जाती है। यदि विवाह नहीं होता, तो लड़के के खिलाफ़ कानूनी मामला दर्ज किया हो जाता है।'' (झारखंड)

''केवल विवाह हो जाने का मतलब यह नहीं है कि हमें बच्चे पैदा करने होंगे। यह निर्णय दोनों साथियों के बीच होता है, जिसमें विलंब भी किया जा सकता है, यह निर्णय पसंद और परिपक्वता पर निर्भर होना चाहिए न कि केवल उम्र पर। सवाल यह है कि – 'परिपक्वता' कौन तय करेगा। हमें इस विषय पर और चर्चा करनी चाहिए'' (राजस्थान)

- झारखंड के 75 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात को मानने से इंकार करते हैं कि विलंब से विवाह होने पर युवतियों को यौन हिंसा से बचाया/ आर्थिक समस्याओं का हल हो सकता है, और इसका कारण है कि उनके पास ससुराल में अपनी बात/विचार/मत रखने की कोई शक्ति ही नहीं होती।

- कई लड़कियों और युवतियों ने भी कहा कि अपने प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के निर्णय लेने के लिए उन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं दी जाती, और सामुदायिक मानदंडों, परिवारों तथा साथियों द्वारा उन पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाता है।

- 30 प्रतिशत लड़कियों और लड़कों ने कहा कि लड़कियों को गर्भ धारण के दौरान पोषण, देखरेख और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत रहती है जिससे कि वे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें और खुद भी स्वस्थ रह सकें। 27 प्रतिशत को लगता है कि उन्हें यौन संबंध और गर्भधारण की पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। विवाह की उम्र बढ़ाई जाना तीसरा विकल्प था, जिसे केवल 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुना।

4. लड़कियां समानता, अधिकार, चुनाव और आत्मविश्वास के साथ कैसे जी सकती हैं?

''लड़कियां बिना विवाह करे भी खुश रह सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, सुरक्षित रह सकती हैं और खुश भी।'' (उत्तर प्रदेश)

''कुछ लड़कियां सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध बोलती हैं और हमेशा नेतृत्व लेना चाहती हैं। लेकिन वे अपने आसपास के माहौल के कारण डरती हैं और बोल नहीं पातीं। गलत नियमों और मानदंडों के खिलाफ़ बोलना क्या लोकतंत्र नहीं है? क्या ऐसे नेताओं की सुरक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है?'' (राजस्थान)

- शहरी युवाओं के सर्वे में 75 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि लड़कियों के सुरक्षित महसूस करने में केवल विवाह ही एकमात्र कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्य मुख्य पहलू जो लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं वे हैं अच्छी शिक्षा और रोज़गार के अवसर, आर्थिक स्थिरता और अपने शरीर और जीवन के बारे में खुद निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समाज में सुरक्षा और स्वतंत्रता, सम्मान और उत्पीड़न–मुक्त माहौल।

- कई युवाओं ने कहा कि अपने चुनाव से बनाए गए यौन रिश्तों में हिंसा और दबाव होता है, जिसमें विवाह–पूर्ण संबंध भी शामिल हैं। सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए गर्भनिरोधकों की उपलब्धता और उनके उपयोग के बारे में समझ में भी कमी पाई गई।

- सभी राज्यों में की गई चर्चाओं में जो चिंता उभर कर आई वह थी किशोर यौनिकता के आपराधीकरण के विषय में। सामाजिक मान्यता या (कानूनी सुरक्षा) के अभाव में अंतरंग रिश्ते – युवा बाद में विवाह न करना चाहें, लेकिन उपलब्ध समय में संबंध बना लें।

- लड़कियों ने चले आ रहे पितृसत्तात्मक मानदंडों के आधार पर सामाजिक अनुकूलन पर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि इसको पलटने के लिए सामुदायिक स्तर पर ठोस और निरंतर प्रयास करने ज़रूरी हैं।

युवाओं की मांगें

1. हमसे **अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए।** जब आप ऐसे मुद्दों पर चर्चा करें जो हमें **सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हों,** तो हमें भी **शामिल करें।** स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभा, व्हाट्सऐप, रेडियो के माध्यम से हम तक पहुंचें और **दो–तरफा संवाद** शुरू करें।

2. हमारे **चुनाव और स्वनिर्धारण के अधिकार को मान्यता दी जाए** और नीति तथा कानूनी रूपरेखाओं में उन्हें **सशक्त** किया जाए।

3. हमारे अनुसार **जल्द और बाल विवाह के मूल कारण** गरीबी, विवाह की केन्द्रीयता से संबंधित मानदंड, पितृसत्ता और लड़कियों की यौनिकता पर नियंत्रण हैं। विवाह की उम्र बदलने के कानून से यह सब कारण संबोधित नहीं होते। हम कार्यदल से अनुरोध करते हैं कि वे **व्यापक हस्तक्षेप किए जाने की संस्तुतियां** दें।

4. हमारे **अस्तित्व और अधिकारों** का सम्मान और उन्हें मूल्य दिया जाना चाहिए।

5. ऐसे **प्रोत्साहक** (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित रोज़गार, जानकारी और सैनेट्री नेपकिन, गर्भनिरोधकों और सुरक्षित गर्भपात) बनाएं जो हमें हमारी **आकांक्षाएं पूरी करने** (जिसमें विवाह में विलंब शामिल है) के लिए सक्षम बनाएं।

6. हमारे माता–पिता और सामुदायिक नेताओं के साथ **व्यापक जागरुकता अभियान** चलाए जाएं जिससे कि वे हमारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित हों और हमारे निर्णयों का सम्मान कर सकें।

7. **शिक्षा के अधिकार को कक्षा 8 से 12 तक, 18 वर्ष उम्र तक बढ़ाया जाए**, और हमें निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, विशेषकर लड़कियों को।

8. हमारे लिए **उच्च स्तरीय शिक्षा के अवसरों** का विस्तार किया जाए (निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्तियों के साथ), व्यावसायिक शिक्षा, जो नज़दीक उपलब्ध हो, और हमारी विविधता तथा हाशियाकृत संदर्भों के अुनकूल हो।

9. सुरक्षित **व्यवहार्य रोज़गार के अवसर** पैदा किए जाएं, जो हमें हमारे घर और गांवों के नज़दीक उचित और स्थिर आमदनी उपलब्ध करा सकें।

10. हमें **जीवन कौशल** और अवसर दिए जाएं कि हम बचपन से ही **निर्णय लेने का अभ्यास** कर सकें।

11. **व्यापक यौनिकता शिक्षा** की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। हमारे **यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों** को मान्यता दी जाए।

12. **गैर–आलोचनात्मक समुदाय–आधारित और संस्थागत सुरक्षा प्रणालियां** सुनिश्चित की जाएं, जो हमारा आपराधीकरण न करती हों।

13. **हमारे माता–पिता को सामाजिक और आर्थिक सहयोग** दिया जाए जिससे कि हममें से जिनकी बाल विवाह होने की संभावना हो उन्हें स्कूल जाने के लिए कुछ और वर्षों का सहयोग मिल जाए और हमारी विवाह की उम्र अपने–आप बढ़ जाएगी।

14. **हमारे लिए, और हमारे साथ सक्षमकारी जगहें** बनाई जाएं।

15. **हमारी गतिशीलता** बढ़ाई जाए, विशेषकर लड़कियों के लिए, जिसके साथ सुरक्षित और निःशुल्क सार्वजनिक यातायात उपलब्ध कराया जाए।

16. हमारे सभी **अधिकारों और संबंधित कानूनों** के बारे में हमें जानकारी दी जाए कि वे हमें किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

17. **हमारा आत्मविश्वास, कौशल, शिक्षा स्तर और रोज़गार की क्षमता बढ़ाने** के लिए क्षमतावर्धन किया जाए।

18. **हम सभी को बिना किसी शर्त और आलोचना के हमारे सभी अधिकार मिलने चाहिए,** चाहें हम जिससे भी और जब भी विवाह करना चाहें, या विवाह न करना चाहें।

1. विवाह की उम्र और उसको निर्धारित करने में कानून की भूमिका?

अभी 18 वर्ष की कानूनी उम्र में ही युवाओं को काफ़ी परेशानी होती है। जब अपने पसंद के रिश्ते होते हैं, तो पोक्सो के अंतर्गत लड़कों को आपराधीकृत किया जाता है।

निर्णय लेने/उन पर काम करने की क्षमता समय के साथ, अलग–अलग प्रयोग करके विकसित होती हैए एक रात में नहीं। हमें बचपन से इसका अभ्यास करने की इजाज़त होनी चाहिए,'' नहीं तो जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में निर्णय नहीं ले सकता वह 21 वर्ष में भी नहीं ले पाएगा।

जिन लड़कियों के पास नौकरियां नहीं हैं उनके लिए वर ढूंढना मुश्किल होता है।

प्रतिबंध बढ़ जाएंगे, बलात्कार बढ़ेंगे, निगरानी और ज़्यादा कड़ी हो जाएगी।

अगर उम्र बढ़ाई जाएगी, तो बाल विवाह बढ़ेंगे। परिवार मुश्किल से 18 वर्ष तक रुकते हैं – अगर यह 21 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी, तो वे नहीं रुकेंगे।

युवा आवाज़

माता–पिता की अपनी बेटियों के लिए चिंता बढ़ जाएगी अगर 'कानून और समाज अलग प्रकार से चलेंगे; कानून के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन में कोई नियंत्रण और संतलन नहीं रहेगा।

लड़कियों (सबसे ज़्यादा प्रभावित) और उनके माता–पिता के साथ विमर्श होना ज़रूरी है

हम अपने माता–पिता से बात करने, अपनी पसंद–नापसंद बताने और विवाह के लिए चुनाव करने में सक्षम होने चाहिए। यह हम तभी कर सकते हैं तब हमारे परिवार में खुला माहौल हो।

1.1 ज़मीनी स्तर पर कानून की जागरुकता और कार्यान्वयन का क्या मतलब है?

''अगर एक लड़की को 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार हो सकता है तो अगर वो चाहे तो 18 वर्ष की उम्र में विवाह क्यों नहीं कर सकती? उम्र को 21 वर्ष तक बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? युवा कार्यकर्ता, झारखंड

5 राज्यों[1] से प्राप्त सर्वेक्षण के आंकड़े (जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 850 16–20 वर्षीय युवा शामिल थे) छथ्थ आंकड़ों के रुझान को प्रतिबिंबित करते हैं कि अब बाल विवाह मुख्यतः 16–18 वर्ष उम्र की श्रेणी में ज़्यादा होते हैं (29 प्रतिशत)। वास्तव में, यह देखकर खुशी होती है कि 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि विवाह करने वाली लड़कियों की औसत उम्र 18 वर्ष से ऊपर है। राजस्थान जैसे राज्य, जहां *गौना* की प्रथा (विवाह की परिणति का ऐवजी) का रिवाज़ है, वहां 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि *गौना* 18 वर्ष की उम्र के बाद किया जाता है।

[1] रेपिड गूगल सर्वे: 5 राज्यों – राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के 16–25 वर्ष उम्र के 850 उत्तरदाता, जिनमें 679 लड़कियां और 171 लड़के शामिल थे। (जून 2020)

वर्तमान समय में, 98 प्रतिशत से अधिक युवाओं, जिन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से चर्चाओं और सर्वे में भाग लिया, को पता था कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष है। 8 राज्यों में, 280 परि–शहरी और शहरी उत्तरदाताओं के साथ किए गए एक सर्वेक्षण[2] में, 50 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें मालूम है कि उनके क्षेत्र में बाल विवाह होते हैं, जो कि कानूनी कार्यान्वयन की प्रभाविता पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, यह और भी ज़्यादा स्पष्ट था, जहां युवाओं ने रेखांकित करते हुए कहा कि *''कानून और समाज अलग–अलग तरीके से चलते हैं; ज़मीनी स्तर पर कानून के कार्यान्वयन पर कोई नियंत्रण और संतुलन नहीं है,''* (राजस्थान का एक युवा)।

पूरे देश भर के युवाओं का कहना था कि 'चौकीदार' ही इसमें भागीदार रहते हैं: *''उम्र बढ़ाने से क्या होगा? प्रधान का काम है कि वह ऐसे विवाह को रोकें लेकिन वे उनके सामने हो रहे कम उम्र विवाहों को खड़े देखते रहते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी खड़े देखते रहते हैं। जो 18 वर्ष की उम्र के साथ हो रहा है, वही 21 वर्ष उम्र के साथ भी होगा।''* ओडिशा में[3], 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं (25 ज़िलों से 314 युवा) का कहना था कि वे कम उम्र विवाहों के बारे में जानते हैं और 59 प्रतिशत ने कहा कि उनके माता–पिता इस प्रथा का समर्थन करते हैं। माता–पिता पर समुदाय के नेता भी दबाव डालते हैं (30 प्रतिशत) और धार्मिक नेता भी (23 प्रतिशत) कि वे अपने बच्चों का विवाह जल्द कर दें। ओडिशा और झारखंड के विमर्शों से सामने आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का मानना है कि बड़ी उम्र की लड़कियां विवाह करने योग्य नहीं होतीं। सभी राज्यों में, इस विषय पर एकमत था कि कम उम्र विवाह जारी रहेंगे जिन्हें छिप कर या जाली दस्तावेज़ बना कर किया जाता रहेगा, चाहें विवाह की उम्र को बढ़ा दिया जाए तब भी।

युवाओं ने कहा कि जहां कानून समुदाय के मानदंडों के खिलाफ़ जाता है, वहां वह बाल विवाहों को रोकने में प्रभावकारी नहीं होता और वास्तव में उसका उपयोग तभी किया जाता है जब समुदाय सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने के लिए उसका उपयोग करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। *''अगर कोई लड़की बिना विवाह के गर्भवती हो जाती है, तो गांव की कमिटि उन दोनों को विवाह करने की सलाह देती है, और उसके बाद स्थानीय पुलिस थाना। अगर लड़का तब भी विवाह नहीं करना चाहता, तो उसके खिलाफ़ कानूनी केस दर्ज कर दिया जाता है'',* एक युवा, झारखंड।

युवा यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कानून में परिवर्तन करने से लड़कियों पर क्या प्रभाव होगा, क्योंकि उन्होंने लड़कों का आपराधीकरण होते हुए देखा है। उन्हें पता है कि परिवारों और समुदायों की ओर से उन पर नकारात्मक प्रभाव होंगे जिसमें लड़कियों के ऊपर चौकीदारी और नियंत्रण बढ़ेगा *'लड़कियों पर निगरानी बढ़ जाएगी'।*

सभी राज्यों के युवाओं का मानना है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले कानूनों में संशोधन करते समय उनसे विमर्श करना चाहिए। वे समझना चाहते थे कि कानून में प्रस्तावित परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे और उन्होंने विभिन्न सुझाव दिए कि उनके साथ विमर्श कैसे किया जाना चाहिए (स्कूलों/ कॉलेजों/ व्हाट्सऐप/ रेडियो कार्यक्रमों के ज़रिए/ ग्राम सभा की बैठकों में)। वे कार्यदल के सामने पेश होने के लिए भी तैयार थे और उनका सुझाव था कि कार्यदल के गठन में युवाओं के एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। युवा महिला सांसद को शामिल किए जाने का भी सुझाव दिया गया।

1.2 विवाह की उम्र कौन और क्या निर्धारित करता है?

'जैसे ही लड़की का जन्म होता है, लोग उसके विवाह की बात करने लगते हैं। लड़कियों को एक बोझ या ''दूसरों की अमानत'' के रूप में देखा जाता है – दूसरे शब्दों में एक वस्तु जिसे उसकी ससुराल में उपयोग किया जाना है' – एक युवा, बरेली ज़िला, उत्तर प्रदेश।

5 राज्यों के लड़कियों और लड़कों का उत्साहपूर्ण जवाब था (65 प्रतिशत) कि विवाह की उम्र का निर्णय परिवार द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक मानदंडों (11 प्रतिशत) के आधार पर लिया जाता है। केवल 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं

---

[2] बहु–राज्य सर्वे: यह आंकड़े 12 राज्यों के ग्रामीण और शहरी युवाओं के साथ किए गए सर्वे, विषय–आधारित सामूहिक चर्चाओं से प्राप्त हुए हैं। राज्य थे: राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिल नाड, कर्नाटक, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड। (जुलाई 2020)

[3] ओडिशा सर्वे: आडिशा के 25 ज़िलों से 15–21 वर्ष उम्र के 314 उत्तरदाता। (जून 2020)

को लगता है कि यह निर्णय 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र को ध्यान में रख कर लिया जाता है, जबकि 8 प्रतिशत को लगता है कि यह निर्णय लड़की के अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर के आधार पर लिया जाता है और केवल 4 प्रतिशत को लगता है कि यह लड़की के निर्णय के आधार पर लिया जाता है। कोविड महामारी और आमदनी में कमी के कारण, एक अच्छी बात हुई है कि कम मेहमानों को बुला कर विवाह किया जा सकता है और बंद दरवाज़ों के पीछे सब रस्में की जा सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप, युवा जल्द विवाहों में बढ़ोतरी की रिपोर्ट दे रहे हैं। इसे घर के सदस्य कम करने के तरीके के रूप में भी देखा जा रहा है।

रुचिकर है कि केवल 5 प्रतिशत युवाओं ने बाल विवाह के विरुद्ध कानून न होने को लड़कियों के जल्द विवाह का कारण बताया, जिसका मतलब है कि बाकी युवाओं को कानूनों की जानकारी है और उनका मानना है कि वे बाल विवाह रोकने में सक्षम नहीं हैं। जल्द एवं बाल विवाह के 2 प्रमुख कारण बताए गएः लड़कियों की पढ़ाई के लिए सीमित अवसर (28 प्रतिशत) और लड़कियों के परिवारों में यह डर कि वे अपनी पसंद के रिश्ते न बना लें (27 प्रतिशत), यह दोनों कारण परिवार और समाज में लड़कियों की आकांक्षाओं को महत्व न दिए जाने को उजागर करते हैं। एक अन्य पहलू (जिसकी गणना नहीं की गई) था कि लड़की के रजोदर्शन हो जाने के बाद और जब वह 'परिपक्व दिखने लगती' है – उसकी लंबाई, वज़न बढ़ जाता है और यौवनारंभ हो जाता है, लोगों को लगने लगता है कि वह 'विवाह के लिए तैयार' है। मानसिक क्षमताओं और निर्णय लेने की क्षमताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

1.3 युवाओं के अनुसार विवाह की उचित उम्र क्या है?

''लड़कियां बिना विवाह करे भी खुश रह सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, सुरक्षित रह सकती हैं और खुश भी।'' एक युवा, उत्तर प्रदेश।

अधिकतर उत्तरदाताओं का कहना था कि लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ज़रूरी है कि वे शिक्षित हों, शारीरिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व हों और विवाह करने से पहले उनके पास नौकरी हो। अतः युवा 18 वर्ष की न्यूनतम उम्र के बाद विवाह करने के लिए तैयार थे, लेकिन अपने निर्णय के लिए उन्हें सहयोग नहीं मिल पाता जिसके कारण वे उसका पालन नहीं कर पाते। सभी जगहों से यही निकल कर आया है कि, स्वतंत्र व ज़िम्मेदार निर्णय लेना, यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी और रिश्तों की समझ होना युवाओं के लिए ज़रूरी है जिससे कि वे विवाह के पहले और बाद में महत्वपूर्ण निर्णयों पर अपना मत रख सकें, जैसे कि पहला बच्चा कब करना है, कितने बच्चे करने हैं और दो बच्चों के बीच कितना अंतर रखना है।

ओडिशा के 83 प्रतिशत युवाओं ने माना कि विवाह लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका नहीं है। जो विकल्प उनके सामने हैं, उनमें से ज़्यादातर युवा चाहते हैं कि सरकार उन्हें गरीबी खत्म करने में सहयोग करे (27 प्रतिशत), उनकी अगली मांग है गुणवत्तापूर्ण स्कूल, कॉलेज सुविधाएं (19 प्रतिशत) उनके घर के पास उपलब्ध हों (उनके गांव से 3–5 कि.मी. की दूरी के अंदर)। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू था कि लड़कियों के संगठनों के माध्यम से बचपन से चर्चा करने के लिए सुरक्षित जगह होना, जो कि उन्हें उनके अधिकारों को समझने और बचपन से ही निर्णय लेने का अभ्यास करने में मदद करेंगे (18 प्रतिशत)। केवल 13 प्रतिशत ने लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष किए जाने के विकल्प को चुना जिससे कि लड़कियां खुद तय कर पाएंगी कि उन्हें विवाह करना है कि नहीं, कब और किससे।

75 प्रतिशत प्रमुखतः शहरी और परि–शहरी उत्तरदाताओं ने बाकी राज्यों से प्राप्त गुणात्मक जवाबों की पुष्टि की, कि युवा विवाह जैसी जटिल व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले, विभिन्न प्रकार की क्षमताएं (अपने निर्णय लेने का आत्म–विश्वास, कौशल विकास, रोज़गार और आमदनी) प्राप्त करना चाहते हैं।

1.4 अगर लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए तो क्या होगा? लड़कियों पर इसका क्या प्रभाव होगा?

''वास्तविकताओं में बदलाव लाए बिना केवल कानून में परिवर्तन करने से बाल विवाहों की संख्या बढ़ेगी। कानून में परिवर्तन करना हमारी वास्तविकताओं में परिवर्तन करने के बराबर नहीं है, हर परिवार के लिए वास्तविकताएं अलग होती

हैं। सभी लड़कियों को शिक्षा की समान उपलब्धता होनी चाहिए और इसी से बाल विवाहों की संख्या में कमी सुनिश्चित की जा सकती है। लड़कियों को लड़कों के बराबर अवसर नहीं मिलते'' (कर्नाटक)।

रेपिड गूगल सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 36 प्रतिशत लड़के और लड़कियों को लगता है कि इससे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए और समय मिलेगा लेकिन यह तभी प्रभावकारी होगा जब मूलभूत ढांचे और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध होंगी और उन्हें प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। ग्रामीण राजस्थान से, *''जिन जगहों पर स्कूल दूर हैं और सुरक्षित यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं, न ही नौकरियां, वहां केवल विवाह की उम्र बढ़ाना पर्याप्त नहीं है''।* दक्षिण भारत से एकत्रित आवाज़ों के अनुसार, लड़कियों को शिक्षा और अन्य अवसरों के लिए कुछ और वर्ष मिल जाएंगे, उन्हें निर्णय लेने का आत्म–विश्वास आ जाएगा और वे नौकरी पाने के लिए अपना कौशल विकास कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश से, गरीब दलित और मुसलमान हाशियाकृत समुदायों की 300 लड़कियां इस कानूनी बदलाव को अपने माता–पिता के सामने अपनी बात रख पाने के मौके के रूप में देखती हैं। उनको पता है कि उनकी बात का उनके माता–पिता पर कोई असर नहीं होता और वे सरकार से उम्मीद करती हैं कि वह बड़ों और माता–पिता के बीच 'जागरुकता बढ़ाने' का काम करे, कि 21 वर्ष की उम्र से पहले विवाह नहीं किए जाने चाहिए। चाहें वे उम्र के बदलाव के पक्ष में हों या न हों, वे विवाह को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में देखती हैं जहां उनके लिए (आम तौर पर) कम स्वतंत्रता, ज़्यादा दबाव, विकल्पों की कमी होती है और यदि उसमें कुछ वर्ष भी विलंब हो सके तो उन्हें ज़्यादा 'परिपक्व' होने का मौका मिलेगा।

रेपिड गूगल सर्वे के अनुसार, 36 प्रतिशत युवाओं को लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं बदलेगा क्योंकि लड़कियों का कम उम्र में विवाह जारी रहेगा (26 प्रतिशत) और उन्हें फिर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अच्छे रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे (10 प्रतिशत)।

ओडिशा के 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि उम्र को बढ़ा दिया जाएगा तो लड़कियां अपनी बात कहने में ज़्यादा स्वाग्रही बन पाएंगी और संभवतः उनके साथ होने वाले यौन शोषण (जो कि विवाह में होने वाली हिंसा की ओर संकेत करता है) का भी सामना कर पाएंगी। साथ ही, उन्होंने सरकार द्वारा एक सख़्त प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित किए जाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया क्योंकि जब तक लड़कियों को विश्वास और सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक वे उत्पीड़न को रिपोर्ट नहीं करेंगी, चाहें वे किसी भी उम्र की हों। लगभग बराबर संख्या के युवाओं (11 प्रतिशत) को लगता है कि इससे असुरक्षित गर्भसमापनों की संख्या बढ़ेगी जो कि युवाओं में असुरक्षित यौन गतिविधियों की ओर इशारा करता है, और उनकी मांग है कि युवाओं के लिए व्यापक यौनिकता शिक्षा और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

युवाओं को यह भी लगता है कि आकर्षण होना और यौन रिश्ते बनाना युवाओं के विकास का हिस्सा है, लेकिन, उनके परिवार इन रिश्तों को लड़कों और लड़कियों से अपनी बात मनवाने के लिए उपयोग करते हैं: *''जब एक लड़का और लड़की अपनी पसंद से रिश्ता बनाते हैं, समाज उसे स्वीकार नहीं करता और वे घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं।''*

25 प्रतिशत युवाओं (ओडिशा) और झारखंड के कई अन्य युवाओं ने सामूहिक चर्चाओं में स्पष्ट रूप से कहा कि इससे लड़कियों के लिए समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और संभवतः उनके जीवन में हिंसा और अधिक बढ़ जाएगी (उसे असुरक्षित गर्भसमापन करवाना पड़ सकता है या अपने साथी के हाथों हिंसा का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उन दोनों पर उनके रिश्ते को छिपाए रखने का दबाव रहता है)। कई मामलों में, अगर वे गर्भ समापन नहीं करवा पाते, तो बच्चे को पालने की ज़िम्मेदारी लड़की के कंधों पर आ जाती है क्योंकि अक्सर समस्याएं आने पर लड़के ऐसे रिश्तों को छोड़ कर चले जाते हैं।

''लड़कियों को और ज़्यादा बोझ समझा जाएगा। माता–पिता कहेंगे 'हमने लड़की को जन्म क्यों दिया!'' कर्नाटक और तमिल नाड से निकल कर आया कि ''कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ सकते हैं।''

2. लड़कियां जब तक चाहें तब तक पढ़ाई कैसे जारी रख सकती हैं?

2.1 लड़कियां/ युवा शिक्षा क्यों चाहते हैं

"शिक्षा लड़कियों को घर से बाहर निकलने, दोस्त बनाने और सीखने के अवसर देती है। यह ज्ञान अर्जित करने और योग्यता प्राप्त करने में मदद करती है", "शिक्षा अवसरों के विकल्प बढ़ाती है, अगर हम शिक्षित हैं और नौकरी करते हैं, तो चाहें हमारा विवाह का रिश्ता खराब भी हो जाए, हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं" और "शिक्षा में अधिकार, समानता जैसे विषयों को भी शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे अंदर आत्म–विश्वास पैदा हो सके" (16 राज्यों में हुई चर्चाओं में से चुने गए कुछ उल्लेख)।

युवा, विशेषकर लड़कियां पढ़ाई जारी रखने की अपनी इच्छा पर ज़ोर देते हुए स्कूली शिक्षा पूरी करने और उच्च स्तरीय शिक्षा/ अपने पसंद के रोज़गार–आधारित कौशल विकास की उपलब्धता की मांग की।

"शिक्षा महत्वपूर्ण है और शिक्षा के अवसर बढ़ने से लड़कियां अपने भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। 12वीं कक्षा तक निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए और वे 17 वर्ष उम्र तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा उन्हें एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए सक्षम बना देगी। लगातार जांच करते रहना ज़रूरी है कि हर बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं" (कर्नाटक)

चूंकि चर्चाओं और सर्वे में शामिल ज़्यादातर भागीदार हाशियाकृत समुदायों से थे जो कि चुनौतिपूर्ण सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में रहते हैं, वे शिक्षा को एक प्रमुख संसाधन के रूप में देखते हैं जिसे वे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सकते हैं। रेपिड गूगल सर्वे के आधे से ज़्यादा (55.29 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का कहना था कि लड़कियों के पास उनकी इच्छा के स्तर तक पढ़ाई करने का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसा महसूस करने वाली लड़कियों (56.9 प्रतिशत) की संख्या लड़कों (48.5 प्रतिशत) से ज़्यादा थी।

2.2 माध्यमिक/ उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियां:

गूगल रेपिड सर्वे में शामिल 52 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि लड़कियों द्वारा पढ़ाई छोड़े जाने का एक प्रमुख कारण है उनके परिवारों की गरीबी और घरेलू काम।

''मेरी सहेली ने 11वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसके परिवार के पास उसकी फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। इसके अतिरिक्त और भी कई खर्चे उठाने पड़ते हैं जैसे कि किताबें, यातायात, कपड़े'' (राजस्थान)। *''माध्यमिक स्तर की पढ़ाई महंगी है''* (झारखंड)

''अब उच्च स्तरीय शिक्षा का निजिकरण हो चुका है... इतनी ज़्यादा फ़ीस हमारे सपने पूरे करने में आड़े आती है। गरीब परिवारों की लड़कियां उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकतीं, इसे निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए जिससे कि यह गरीब समुदायों की लड़कियों के लिए उपलब्ध हो सके। शिक्षा पूरी करने के लिए लड़कियों को छात्रावास की सुविधा मिलनी चाहिए'' (तमिल नाड)

रेपिड गूगल सर्वे में, 17 प्रतिशत भागीदारों ने बताया कि 'उनके आसपास के क्षेत्र में लड़कियों माध्यमिक स्कूल/ कॉलेज नहीं हैं, जिसके कारण वे जिस स्तर तक चाहें पढ़ाई नहीं कर सकतीं। आधे से ज़्यादा उत्तरदाताओं ने कहा कि लड़कियों के पास उस स्तर तक पढ़ने के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं जितना वे पढ़ना चाहती हैं। ऐसा महसूस करने वालों में लड़कियों की संख्या (56.9 प्रतिशत) लड़कों की संख्या (48.5 प्रतिशत) से ज़्यादा थी। ओडिशा सर्वे में,[4] ज़्यादातर उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास केवल माध्यमिक विद्यालय की सुविधा है और उन्हें उच्च माध्यमिक स्तर या स्नातक कॉलेज जाने के लिए 15–20 कि.मी. दूर जाना पड़ता है। केवल 9 प्रतिशत लोगों के पास तकनीकी शिक्षा की सुविधा थी। दूरी बढ़ने से लड़कियों की सुरक्षा के बारे में चिंता बढ़ जाती है, रोज़ आने–जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनकी शिक्षा का खर्च बढ़ जाता है और जिन युवाओं को घर पर भी काम करना पड़ता है उनके लिए पढ़ाई करना असंभव हो जाता है।

विस्तृत चर्चाओं में युवाओं ने कई सुझाव दिएः *''सभी जगहों पर 12वीं कक्षा तक के स्कूल 5–10 कि.मी. की दूरी के अंदर होने चाहिए। यदि स्कूल 5वीं या 8वीं या 10वीं या 12वीं तक होते हैं, तो हम उतना ही पढ़ पाते हैं। माता–पिता हमें दूर की जगहों या शहरों में आगे पढ़ने के लिए भेजने को तैयार नहीं होते।''*

''सुरक्षित और निःशुल्क यातायात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।'' ''हमारी पढ़ाई के लिए कुछ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी ज़रूरत है जैसे कि यातायात, छात्रवृत्तियां और हमारे माता–पिता से बात करने वाला कोई व्यक्ति'' (सभी उल्लेख गुजरात में हुई चर्चाओं से लिए गए हैं)। *''हम युवा लड़के लड़कियों को विश्वविद्यालय–पूर्व स्तर तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।''* (कर्नाटक)। *''मैं अपनी पढ़ाई के साथ–साथ परिवार के लिए कमाना भी चाहता हूं, लेकिन यह आसान नहीं है''* (राजस्थान)। *''मनरेगा में युवाओं और किशोरों के लिए सुरक्षित काम के विकल्प मिलने चाहिए। मनरेगा में वेतन बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि हम अपनी शिक्षा का खर्च उठा सकें।''* (तमिल नाड)। *''शिक्षा व अन्य योजनाएं प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, इसका अंत होना चाहिए और इनकी उपलब्धता सुलभ व युवा–अनुकूल होनी चाहिए।''* (राजस्थान)

लड़कियों ने कहा कि स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं और संस्कृति लड़कियों के अनुकूल होनी चाहिए। *''हमारी टीचर हमें माहवारी के समय में स्कूल आने से मना करती हैं और सबसे कहती हैं कि उसकी तबियत ठीक नहीं है, इसलिए वह नहीं आई है''* (राजस्थान)।*''माहवारी के समय लड़कियों के स्कूल जाने के लिए निःशुल्क व अनिवार्य रूप से सैनेट्री नैपकिन का वितरण और साफ़ शौचालय होने ज़रूरी हैं''* (तमिल नाड)। कई लड़कियों ने स्कूल में सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया, और बताया कि ऐसे कई मामले हैं जहां टीचर लड़कियों का फायदा उठाते हैं और उनका शोषण करते हैं।

हाल में, कोविड महामारी के कारण स्कूल बंद हो गए हैं। जहां निजि स्कूलों के विद्यार्थियों की पढ़ाई ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जारी है, वहां सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी, विशेषकर लड़कियां शिक्षा जारी नहीं रख पा रही हैं। इसका एक कारण है कि उनके पास मोबाइल फोन या इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। (झारखंड सर्वे) घरेलू काम का बोझ जिसका भार लड़कियों पर ज़्यादा रहता है, उसके कारण भी लड़कियों के पास पढ़ाई का समय नहीं बचता। इतने लंबे समय तकपढ़ाई छूट जाने से उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उनका जल्द विवाह होने की संभावना बढ़ जाती

[4] ओडिशा सर्वेः आडिशा के 25 ज़िलों से 15–21 वर्ष उम्र के 314 उत्तरदाता। (जून 2020)

है।सभी राज्यों के युवाओं ने इसके संदर्भ में एक ही बात दोहराई कि अमीर और गरीब तथा लड़के और लड़कियों के बीच डिजिटल विभाजन मौजूद है।

2.3 विवाह की उम्र 21 वर्ष तक बढ़ाए जाने से क्या लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों पर प्रभाव पड़ेगा?

कई युवाओं को लगता है कि अगर विवाह में विलंब हो तो लड़कियों को पढ़ाई पूरी करने के लिए अधिक समय मिलेगा और जल्द विवाह के कारण उन्हें स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। इससे उच्च शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक उनकी पहुंच बढ़ेगी, जिससे उन्हें अपना जीवन बेहतर बनाने की तैयारी के लिए समय मिल पाएगा। रेपिड गूगल सर्वे के 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं को लगता है कि विवाह की उम्र में परिवर्तन होने से लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर बेहतर हो पाएंगे। *''अगर विवाह 21 वर्ष की उम्र तक टाले जा सकेंगे, तो हम में से कुछ को अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी करने, नौकरी करने, स्वतंत्र होने का मौका मिलेगा और उसके बाद हम विवाह कर सकती हैं। इससे हमें ज़्यादा सहयोग मिलेगा। कई लड़कियां स्नातक की पढ़ाई पूरी कर पाएंगी और नौकरी करके परिवार की आमदनी में योगदान कर सकेंगी।'' ''अच्छी बात यह है कि हमें उच्च स्तरीय शिक्षा के और अधिक अवसर मिलेंगे और समाज में मान्यता भी''* (तमिल नाड)। *''विवाह की उम्र बढ़ने से हमें कुछ वर्ष मिल जाएंगे जिससे हम जल्द विवाह को टाल सकते हैं। कानून में बदलाव के साथ–साथ, सहयोग देने और शिक्षा की योजनाओं में भी परिवर्तन किए जाने चाहिए।''* (कर्नाटक)

लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में युवाओं का कहना था कि एक सक्षमकारी माहौल के बिना, अवसर मौजूद न होने और उच्च स्तरीय/ व्यावसायिक शिक्षा की खराब गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति में, विवाह की उम्र में अनिवार्य बढ़ोतरी से ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों के लिए कुछ फ़ायदे प्राप्त हों, क्योंकि उन्हें अभी भी घरेलू काम और पारिवारिक भूमिकाओं में सीमित रखा जा सकता है। *''जिन परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता, वहां माता–पिता 3 अतिरिक्त वर्षों के लिए उसकी पढ़ाई में निवेश क्यों करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि स्कूल मेरे घर तक आ जाएगा।''* (राजस्थान)

बहुत बड़ी संख्या (42.9 प्रति ात) में युवाओं का कहना था कि घर के नज़दीक शिक्षा के अवसर उपलब्ध होने से लड़कियां जब तक चाहें अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगी, जबकि 12.3 प्रतिशत युवाओं ने सरकारी स्कूल और कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता की सक्षमकारी भूमिका पर ज़ोर दिया। अन्य प्रमुख पहलू जिन्हें युवाओं ने चुना वे थे, निःशुल्क उच्च स्तरीय शिक्षा (9.3 प्रतिशत), उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए नक़द सहयोग (9 प्रतिशत), शिक्षा ख़त्म हो जाने के बाद लड़कियों के लिए बेहतर काम के विकल्प (9 प्रतिशत)। और इनसे स्पष्ट होता है कि उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने में क्या बाधाएं आती हैं।

''12वीं तक पढ़ने का क्या फायदा, अगर मुझे आगे की अपनी पसंद की पढ़ाई करने के लिए दूर किसी शहर में जाना पड़े?'' (राजस्थान)। *''माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा में विकल्प बढ़ाए जाने चाहिए, नहीं तो हर कोई बी.ए. ही करता है।''* (गुजरात)। *''स्नातक स्तर की पढ़ाई करने से मेरे आसपास के क्षेत्र में मुझे कोई नया काम करने का मौका नहीं मिलता; मुझे दिहाड़ी काम ही करना पड़ता है।'' ''शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी लड़कियां कई कारणों से स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती हैं, जिस पर ध्यान देना ज़रूरी है और इस मुद्दे के समाधान के लिए उचित तरीके अपनाने होंगे। केवल विवाह की उम्र बढ़ाने पर ही नहीं बल्कि उनकी शिक्षा जारी रखने, व्यक्तित्व विकास, सेवाओं की उपलब्धता और रोज़गार–आधारित प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना ज़रूरी है।''* (ओडिशा)

रेपिड गूगल सर्वे में, 27 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि लड़कियों के जल्द विवाह का कारण है कि लड़कियों के लिए आगे की पढ़ाई करने के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं, और दूसरा कारण है लड़कियों का अपनी पसंद के रिश्ते बनाने का डर (26 प्रतिशत) और सार्वजनिक जगहों पर लड़कियों का यौन उत्पीड़न (13 प्रतिशत)।

झारखंड के एक अध्ययन[5] में पाया गया कि अक्सर लड़कियां विवाह से पहले ही स्कूल छोड़ देती हैं। एक बार स्कूल छोड़ देने के बाद, लड़कियों की विवाह करने की मजबूरी बढ़ जाती है क्योंकि उन्हें भावी दूल्हे के परिवार और शादी तय

[5] झारखंड अध्ययन परिणामः *विवाह के संदर्भ में किशोरियों के अधिकार और आकांक्षाएं*

करवाने वालों से रिश्ते आने लगते हैं, और कोई अन्य विकल्प न होने के कारण, उनका विवाह कर दिए जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इस अध्ययन से यह भी सामने आया कि माता–पिता अब अपनी बेटियों के लिए पढ़ाई को प्राथमिकता देने लगे हैं, लेकिन गरीबी और शिक्षा के निम्न स्तर के कारण जब लड़कियां स्कूल छोड़ने पर विवश हो जाती हैं, तब उनका विवाह कर दिए जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

कई लड़कियों ने उनके आसपास रहने वाली बहुत सारी लड़कियों के विवाह के बारे में बताया, या जो लड़कियां अपने पति से जल्द ही अलग हो गईं/ तलाक़ हो गया आदि और बहुत कम उम्र में अब वे अकेले अपने बच्चों को पाल रही हैं और उनका कहना था कि बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा व्यवस्था में इन लड़कियों के लिए जगह बनाई जाए। *''विवाह से जुड़ी स्थितियां तो बदलती रहेंगी; लेकिन जिन लड़कियों का विवाह हो चुका है उनकी मदद कौन करेगा, या जिन्हें छूटचिट्ठी मिल चुकी है (सामुदायिक प्रक्रिया से तलाक़) या जिन्हें उनके माता–पिता स्कूल भेजने के लिए वापस ले आए हैं; उनकी फीस कौन भरेगा, या उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा?''* (राजस्थान)। जल्द विवाह या परीक्षा में फेल होने के कारण, एक बार स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों के लिए दोबारा पढ़ाई शुरू करना भी आसान नहीं है। पूर्वाग्रह कम करना, सुधारात्मक शिक्षा और युवाओं को जो विषय मुश्किल लगते हैं उनके लिए अतिरिक्त सहयोग देना ज़रूरी है। *''अगर आप फ़ेल हो जाते हैं, तो माता–पिता सोचते हैं कि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और आप को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं''* (राजस्थान)। *''बड़ी परीक्षाओं के लिए पढ़ाई करने में मदद करने के लिए कोई नहीं है''* (झारखंड)।

2.4 क्या शिक्षा से बेहतर रोज़गार मिलने में सहयोग मिलता है?

ओडिशा के सर्वे में, ज़्यादातर उत्तरदाताओं (87 प्रतिशत) ने कहा कि कम–से–कम स्नातक स्तर की पढ़ाई तो ज़रूरी है लेकिन ज़रूरी नहीं कि इससे नौकरी मिल जाए। सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने और रोज़गार के कौशल सीखने में मदद मिलेगी (8 प्रतिशत)। विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जैसे कि कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि (22 प्रतिशत)। रेपिड गूगल सर्वे में उत्तरदाताओं की अत्यधिक संख्या (73 प्रतिशत) का कहना था कि उनके आसपास के इलाकों में लड़कियां मौसम के अनुसार उपलब्ध रोज़गार विकल्पों में शामिल रहती हैं। इनमें शामिल हैं मनरेगा के काम, फसल कटाई, सिलाई, खदानों पर काम आदि। शहरी क्षेत्रों में सामने आया कि अनौपचारिक कार्यक्षेत्र, जैसे कि घरेलू काम, ब्यूटिशियन, पैकिंग, दुकान के काम आदि में लड़कियां काम करती हैं। केवल 2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने आसपास की लड़कियों को किसी अच्छे वेतन वाले औपचारिक अनुबंध आधारित काम करते देखा है। *''छोटी–छोटी कमाई करना भी ज़रूरी है, लेकिन अगर लड़कियों को अच्छी नौकरी मिल जाए, तो वे अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अपने परिवार के सामने खड़ी हो सकती हैं''* (राजस्थान)। इसी सर्वे के परिणामों में, 48 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि पढ़ाई के साथ–साथ, रोज़गार आधारित कौशल विकसित करने के लिए कम फीस वाले प्रशिक्षण उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि लड़कियों को बेहतर नौकरियां मिल सकें। युवाओं ने शिक्षा की व्यापकता और समावेशी होने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, जो उन्हें विभिन्न प्रकार के कामों के विकल्प देती हो। *''ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को कृषि के कामों और इससे आमदनी कमाने पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। खेलकूद, संगीत और कला भी काम के क्षेत्र हो सकते हैं''* (ओडिशा)।

बहु–राज्य सर्वे में, हाशियाकृत समुदायों के युवाओं ने ज़ोर देकर कहा कि लड़कियों के लिए विवाह में विलंब के साथ–साथ, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के अवसरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक आम समस्या बताई गई वह थी करियर बनाने के लिए सीमित विकल्प मौजूद होना। वर्तमान समय में लड़कियों के लिए जो प्रशिक्षण मौजूद हैं, वे हैं – कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई, नर्स, कॉल सेन्टर, ब्यूटिशियन, कला, गृह विज्ञान और नृत्य। लेकिन इन क्षेत्रों में भेदभाव के कारण लड़कियों को नौकरियां नहीं मिल पातीं क्योंकि उन्हें रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं मिलती, इन कामों के लिए अक्सर दूसरे शहर में जाकर रहना पड़ता है, या फिर वे इन नौकरियों के लिए आवेदन ही नहीं कर पातीं क्योंकि माना जाता है कि इन नौकरियों में काम की जगह पर सुरक्षा नहीं होती, उन्हें मातृत्व अवकाश या निर्धारित वेतन जैसी सुविधाएं नहीं दी जातीं। ज़्यादातर लोगों ने स्वतंत्रता न होने, सुरक्षित यातायात न होने, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, असमान वेतन, और पदोन्नति के अवसर न दिए जाने जैसी समस्याओं के बारे में बताया। इन हाशियाकृत समुदायों के ज़्यादातर युवा अनौपचारिक और असंगठित कार्य करने के लिए विवश हो जाते हैं।

काम से संबंधित विकल्पों का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि लड़कियां और उनके परिवार उनकी शिक्षा में समय और संसाधन निवेश करने के लिए आकर्षित हों। तमिल नाड में एक समूह चर्चा से निकल कर आया कि किस प्रकार उच्च स्तरीय शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शहरी और जेन्डर भेदभाव मौजूद रहता है। दूर–दराज़ के ज़िलों, छोटे शहरों और कस्बों में उच्च स्तरीय शिक्षा के बहुत कम विकल्प रहते हैं और महिला कॉलेजों में तो और भी कम विकल्प मिलते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस कमी को संबोधित किया जाए। *''माता–पिता नहीं चाहते कि मुझे कॉलेज भेजने पर पैसा खर्च करें और फिर मेरे विवाह और दहेज पर भी, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि मुझे कोई नौकरी मिलेगी। तो फिर समय क्यों बर्बाद किया जाए, अगर वे मेरा विवाह करके अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर सकते हैं''* (राजस्थान)।

2.5 शिक्षा को किस प्रकार परिवर्तनकारी और सक्षमकारी बनाया जा सकता है?

''सरकार को लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना चाहिए। स्कूल में लड़कियों को उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाया जाए। औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त, लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम व गतिविधियां की जानी चाहिए।'' ''शिक्षा प्रणाली ने सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को बाल विवाह और उनके अधिकारों के विषय में उचित जागरुकता मिले। स्कूल और कॉलेज में यौनिकता पर जागरुकता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जिससे कि सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चे सूचित चुनाव करें''। (कर्नाटक)

''स्कूल में ही शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तित्व विकास के माध्यम से लड़कियों का सशक्तिकरण।'' (तमिल नाड़)। ''शिक्षा और रोज़गार के विकल्प बढ़ने से महिलाएं आत्म–निर्भर बन पाएंगी, जब लड़कियां खुद को महत्व देना सीख जाएंगी'' (गुजरात) ''मेरा कॉलेज मुझे हिंसा का सामना करने या दहेज के लिए मना करने का आत्म–विश्वास नहीं सिखाता... यह मैंने यहां आकर सीखा'' (राजस्थान)

अगर लड़कियों के लिए समानता, गरिमा और पसंद के साथ एक बेहतर जीवन की आकांक्षा है, तो ज़रूरी है कि औपचारिक शिक्षा में अधिकारों और परिवर्तनकारी एजेंडा की शिक्षा शामिल की जाए जो कि लड़कियों और लड़कों को प्रभावित करने वाले जेन्डर, जाति और गरीबी के प्रभावों में बदलाव ला सके। ओडिशा सर्वे में, 95 प्रतिशत का सोचना था कि लड़के लड़कियों को जेन्डर भेदभाव के विषय में जागरुक करना चाहिए और उसे चुनौती देना सिखाना चाहिए।

अधिकतर युवाओं ने व्यापक यौनिकता शिक्षा को औपचारिक शिक्षा में शामिल किए जाने के बारे में बात की। यह उन्हें यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी शर्म और प्रतिबंधों का सामना करने के लिए सशक्त करेगी। *''स्कूलों में शरीर और यौन संबंध और परिवार नियोजन के विषयों पर पढ़ाया जाना चाहिए'' (तमिल नाड)। ''हमारे अनुभवों और वे हमारी रिश्तों/ दोस्तियों के बारे में सोच को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस को समझने की ज़रूरत है। आकर्षण होना स्वाभाविक है इसलिए हमें उसे समझने के लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है, न कि नियंत्रण और सज़ा की।'' (राजस्थान)*

यह एकदम स्पष्ट है कि युवा शिक्षा जारी रखना चाहते हैं और वे उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने को न सिर्फ विवाह में विलंब करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं, बल्कि विवाह संबंधित सभी निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ाने में भी। जब उनसे पूछा गया कि लड़कियों को यह तय करने में सबसे ज़्यादा मदद किस से मिलेगी, कि 'उन्हें विवाह करना है या नहीं, कब, किससे और कैसे', तो 19 प्रतिशत युवाओं ने मध्यम और उच्च स्तरीय शिक्षा कहा, और 28 प्रतिशत ने कहा 'लड़कियों को गरीबी दूर करने में सहयोग करने से'। ज़्यादातर युवाओं ने विवाह थोड़ी देर से करने में अपनी रुचि व्यक्त की लेकिन साथ ही, उन्होंने माना कि, विशेषकर लड़कियों के लिए, शिक्षा पूरी न कर पाना, अत्यधिक फीस या उपलब्धता न होना कारण बन जाते हैं कि माता–पिता शिक्षा को छोड़कर लड़कियों का विवाह करने की सोचने लगते हैं। औपचारिक शिक्षा को भी समता और समानता को बढ़ाने वाली जगह बनना होगा। इससे लड़कियों को बराबर के साथी, मां और नागरिक करने का मौका मिलेगा।

3. युवाओं के जेन्डर, यौनिकता और जीवन चुनावों के अनुभव

हम चाहते हैं कि लड़के लड़कियां खुल कर मिल सकें, बातें कर सकें, और चाहें तो साथ में रह सकें, चाहें तो विवाह कर सकें, युवाओं को यह अधिकार होने चाहिए, अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है

जब भी एक लड़का और लड़की अपनी पसंद से रिश्ता बनाते हैं, समाज उसे स्वीकार नहीं करता और वे घर से भागने के लिए विवश हो जाते हैं।

युवा आवाज़ और मांगें

बच्चा पैदा करना मां और बाप दोनों की ज़िम्मेदारी है इसलिए उन दोनों का तैयार होना ज़रूरी है। परिवार और लड़कों को यह समझाने के लिए उनके साथ काम करना ज़रूरी है

बच्चों के बीच में 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से उनकी देखरेख कर सकें

जब एक लड़का और लड़की रिश्ता बनाते हैं, तो उन्हें भी डर होता है कि उनमें से कोई एक उनका विश्वास तोड़ देगा, इसलिए वे जल्दी से विवाह कर लेना चाहते हैं

अगर हम मांएं नहीं बनना चाहतीं, तो हमें अपने साथी के साथ इस विषय पर चर्चा करने की क्षमता होनी चाहिए

3.1 यौनिकता की समझ और अभिव्यक्ति के विषय में युवा क्या सोचते हैं?

'आकर्षण होना और यौन रिश्ते बनाना हमारे विकास का हिस्सा है। ऐसी स्थितियों को संभालने के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। प्यार करने और 18 वर्ष उम्र के बाद घर छोड़ कर भाग जाने पर कानून के अंतर्गत सज़ा होने लगेगी। माता–पिता इस कानून का दुरुपयोग करके लड़की को अपना साथी चुनने से रोकेंगे'

'अगर विवाह अवैध हो जाएंगे तो बच्चे का क्या होगा और क्या उसका बच्चा परिवार का कानूनी वारिस नहीं रहेगा?'

'जब एक लड़का और लड़की रिश्ता बनाते हैं, तो उन्हें भी डर होता है कि उनमें से कोई एक उनका विश्वास तोड़ देगा, इसलिए वे जल्दी से विवाह कर लेना चाहते हैं'

'माता–पिता को लगता है कि जल्दी विवाह कर देने से वे (लड़कियां) बिगड़ेंगी नहीं! नहीं तो वे स्वतंत्र तरीके से सोचना, लड़कों से दोस्ती करना आदि शुरू कर देंगी।'

'जब भी एक लड़का और लड़की अपनी पसंद से रिश्ता बनाते हैं, समाज उसे स्वीकार नहीं करता और वे घर से भागने के लिए विवश हो जाते हैं।'

'अगर हमारा यौन उत्पीड़न होता है, या हमारा किसी के साथ रिश्ता है और इसके बारे में पता चल जाता है, तो यह जानकारी सब में फैल जाती है और हमारी और हमारे परिवार की बेइज्ज़ती होती है। इस से बचने के लिए हमारे माता–पिता हमारा विवाह जल्दी कर देते हैं।'

एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया और वह घर छोड़ कर भाग गई। उसके माता–पिता उसे वापस ले आए और उसका किसी और से विवाह कर दिया। विवाह के बाद, उसके पति ने उसे छोड़ दिया और वह अपने माता–पिता के घर वापस आ गई। उसने दूसरे लड़के से बात करनी शुरू कर दी, उनकी लड़ाई हो गई और उसने आत्महत्या कर ली।'

'लड़के लड़कियां आकर्षण और रोमांस के फिल्मी विचारों के कारण खुद विवाह करना चाहते हैं। अगर वे एक–दूसरे से प्यार करते हैं तो वे जल्दी विवाह कर लेना चाहते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि उनके माता–पिता उनका विवाह नहीं होने देंगे।'

'कई अविवाहित लोगों ने 15–18 वर्ष उम्र के बीच, आपसी सहमति से, लेकिन उनके माता–पिता की इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाया – लड़कों को जेल हो गई, लड़कियों को गंभीर हिंसा सहनी पड़ी और उनका जल्दी में किसी और से विवाह करवा दिया गया।'

(कर्नाटक, तमिल नाड, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात के युवाओं के चयनित उल्लेख)

14 राज्यों की युवा आवाज़ों ने पुरजोर तरीके से कहा है कि यौन आकर्षण स्वाभाविक होता है लेकिन जब युवा उनके माता–पिता की इच्छाओं से परे अपनी यौनिकता की अभिव्यक्ति करने लगते हैं, तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। विवाह के रिश्ते में हिंसा (भावनात्मक और शारीरिक, दोनों) एक आम अनुभव है। ग्रामीण और शहरी, दोनों जगहों पर युवाओं ने यौनिकता के बारे में खुलकर बात करने से जुड़े कलंक के बारे में बताया। यह उनके अध्यापकों, माता–पिता के व्यवहार में दिखता है और आसपास के लोग इस विषय पर असहज हैं तथा युवाओं के बीच भी असहजता है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्हें कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वे सुरक्षित तरीके से इन मुद्दों पर बात कर सकें। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और दोस्तों से इस विषय पर बात करके उन्हें गलत जानकारी और असुरक्षित तरीके ही पता चलते हैं। ओडिशा सर्वे में 11 प्रतिशत युवाओं को लगता है कि विवाह की उम्र 21 वर्ष तक बढ़ाए जाने से उनके सुरक्षित गर्भ समापन के अधिकार में आने वाली बाधाएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जो वैसे भी कलंक की भावना से घिरा रहता है। गुजरात में लड़कियों का कहना था, *''सहमति की उम्र 18 वर्ष है, अगर विवाह की उम्र बढ़ाई जाएगी, तो अगर हम अविवाहित रहकर गर्भवती हो जाएंगी, हमें नहीं पता होगा कि हमें क्या करना है। हमें घरेलू तरीके अपनाने पड़ेंगे/ गर्भ समापन के लिए नीम–हकीमों के पास जाना पड़ेगा जो कि असुरक्षित होगा।''*

लड़कियों के लिए, जिन्हें डिजिटल विभाजन के प्रभाव सबसे ज़्यादा सहने पड़ते हैं, यौनिकता, सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ धारण से जुड़ी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में चर्चा करने/ जानकारी प्राप्त करने की और भी कम जगहें हैं। जो लड़कियां किसी किशोरी समूह का हिस्सा हैं, उन्हें वह जगह अपने विचार और भावनाएं बांटने तथा सहयोग और जानकारी लेने के लिए सुरक्षित लगती है, जैसा कि राजस्थान में हुई चर्चाओं से स्पष्ट हुआ। कर्नाटक और तमिल नाड के युवाओं ने बताया कि जागरुकता और खुली चर्चाएं करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लड़के लड़कियों को केवल वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि मित्र की नज़र से देखें और उनके साथ समानता का व्यवहार करें। उनकी मांग है कि स्कूलों में यौनिक स्वास्थ्य पहल योजना उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसके लिए एक अलग कक्षा निर्धारित की जाए। यौन संबंध और यौनिकता पर आयु–उपयुक्त जानकारी तथा सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श पर जानकारी दी जानी चाहिए। ओडिशा के 31 प्रतिशत युवाओं का कहना था कि कोविड 19 के कारण लड़कियों और युवतियों को उनके यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरुकता कार्यक्रमों में आई रुकावट को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए और सामुदायिक स्तर पर माहवारी और गर्भ निरोधन से संबंधित उत्पाद उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यह ज़रूरतें झारखंड और राजस्थान में भी व्यक्त की गईं। झारखंड, कर्नाटक और तमिल नाड की लड़कियों ने कहा कि उन्हें भी आंगनबाड़ी केन्द्र से सारी सेवाएं प्राप्त नहीं हो रही हैं, जैसे कि आयरन की गोलियां, पोषक खाना आदि जिसका उनके समग्र विकास पर प्रभाव पड़ता है और गर्भधारण के समय समस्याएं आ सकती हैं। कर्नाटक और तमिल नाड में युवाओं ने 12वीं कक्षा तक बाल सुरक्षा नीतियां लागू करने की मांग की। कर्नाटक में, युवाओं की एक प्रमुख मांग थी कि 'किशोरी' सहयोग कार्यक्रमों को दोबारा शुरू किया जाए, जो कि आंगनबाड़ी व्यवस्था का भाग हुआ करते थे और पिछले दो साल से बंद कर दिए गए हैं।

लड़कियों को कम महत्व देना/ उनको सामाजिक तौर पर दिया जाने वाला निचला स्तर उनके प्रेम संबंधों में भी देखने को मिलता है, जिन्हें वे अपनी पसंद से बनाती हैं। लड़के लड़कियों को नियम बताते हैं कि वे किससे फोन पर बात कर सकती हैं या नहीं, किस मित्र से मिल सकती हैं, शारीरिक स्पर्श या यौन रिश्ते रख सकती हैं या नहीं। लड़के लड़कियों पर विवाह करने का भी दबाव बनाते हैं, धमकाते हैं कि वे किसी और लड़की के साथ रिश्ता बना लेंगे और कभी–कभी

उन्हें मारते या उनका शोषण भी करते हैं। लड़कियां नाराज़ होती हैं लेकिन वे इसके बारे में किसी से खुल कर बात नहीं कर पातीं क्योंकि रिश्ता रखने पर पाबंदी होती है।

3.2 विवाह के बाद लड़कियों के अनुभव कैसे हैं?

''विवाह के बाद हमें विभिन्न प्रकार के दबाव सहने पड़ते हैं – घर का ज़्यादातर काम हमें ही करना पड़ता है, गर्भ धारण और बच्चे पैदा करना, घर से बाहर किसी और से कोई दोस्ती या रिश्ता नहीं (यहां तक कि लड़कियों के साथ भी नहीं)।''

''विवाह होने का मतलब यह नहीं है कि हमें बच्चे पैदा करना शुरू कर देना चाहिए। यह निर्णय दोनों साथियों का है, जिसमें विलंब भी किया जा सकता है, यह निर्णय पसंद और परिपक्वता पर आधारित होना चाहिए, केवल उम्र पर नहीं। एक सवाल यह भी है – 'परिपक्वता' कौन तय करेगा। हमें इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता है''

''अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि विवाह होते ही हमें गर्भ धारण कर लेना चाहिए। हमें रुक कर, नियोजन करके बाद में बच्चा पैदा करना चाहिए।''

''मैं अभी 20 वर्ष की हूं और मेरी सहेलियां हैं जिनका विवाह 4 वर्ष पहले, 16 वर्ष की उम्र में हो गया था। उनकी और मेरी स्थिति में बहुत फ़र्क़ है – मैं अपने मन की बात कह पाती हूं, वो नहीं।''

''लड़कियां आगे पढ़कर भी क्या करेंगी? एक बार वे अपने ससुराल चली जाएं, तो उनका नसीब उनके हाथ में होता है – यदि वे उसे आगे पढ़ाना चाहेंगे, तो वो पढ़ेगी, अगर नहीं तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी।''

(कर्नाटक, तमिल नाड, ओडिशा, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली के युवाओं के चयनित उल्लेख)

ओडिशा के 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि यदि लड़कियों के विवाह थोड़ी बड़ी उम्र में हों (लगभग 20 वर्ष उम्र के आसपास) तो वे और मुखर हो सकती हैं और विवाह में होने वाली यौन हिंसा का सामना कर सकती हैं, जिसमें विवाह के अंदर बलात्कार भी शामिल है। लेकिन झारखंड के 75 प्रतिशत उत्तरदाता इससे सहमत नहीं हैं कि लड़कियों के विवाह देर से करने से उन्हें यौन हिंसा से बचाया/ आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि उनके पास ससुराल में अपनी बात कहने के लिए कोई जगह ही नहीं होती।

पश्चिम भारत में, लड़कियों ने अपने गांव के कई उदाहरण दिए जहां लड़कियों का विवाह 18 वर्ष उम्र में हुआ और एक वर्ष के अंदर उनके बच्चे हो गए। अगर इसमें कोई देरी होती है, तो यह माना जाता है कि लड़की में कोई शारीरिक कमी है।

3.3 पहला गर्भ धारण कब होना चाहिए और किन स्थितियों में?

लड़कियों की आकांक्षाएं	**उनके वास्तविक अनुभव**
''विवाह के दो वर्ष बाद'' *''मैं चाहती हूं कि जब मैं और मेरा साथी चाहें तभी हम बच्चा पैदा करें''* *''मुझे केवल एक बच्चा चाहिए''* *''मेरा मानना है कि विवाह के 5 साल बाद बच्चे पैदा करने चाहिए, इससे मेरी जैसी लड़कियों को अपना जीवन जीने, उसका आनंद उठाने का मौका मिलेगा, और उसके बाद बच्चे पैदा हों, जब हम दोनों को लगे कि हम उनकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं।''*	*''विवाह के तुरंत बाद समुदाय से दबाव आने लगता है कि गर्भ धारण होना चाहिए और बच्चा 'लड़का' ही हो। विवाह के समय दिए गए आशीर्वाद भी इसी के लिए दिए जाते हैं। हमारे परिवार वाले न भी चाहें, तब भी वे दूसरों की टिप्पणियों से प्रभावित होने लगते हैं''* *''यह निर्णय सास, ससुर और पति लेते हैं। हम (लड़कियों) से कोई नहीं पूछता''।* *''जब मेरे भाई और उसकी पत्नी ने तय किया कि वे विवाह के तुरंत बाद बच्चे पैदा नहीं करेंगे, मेरी मां को पड़ोसियों के ताने सुनने पड़े। बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया,*

''अगर मैं खुद सक्षम बन गई, तो मैं केवल 2 बच्चे पैदा करूंगी, चाहें वे लड़के हों या लड़की। इसके लिए मुझे जिससे भी लड़ना पड़े, लड़ लूंगी। मैं नौकरी करने के लक्ष्य के लिए इतनी मेहनत कर रही हूं कि मैं अपने पैसे खुद कमा सकूं और स्वतंत्र बन सकूं जिससे कि मैं इस प्रकार के निर्णय लेते समय अपना मत सामने रख सकूं।'' *''बच्चों के बीच 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए जिससे कि हम उनकी अच्छे से देख–रेख कर सकें।''* *''अगर हम मां नहीं बनना चाहते तो हमें अपने साथी से बात करने का खुलापन होना चाहिए''।* *''हमें गर्भ निरोधकों का उपयोग करना चाहिए''* *''हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम स्वस्थ मांएं कैसे बन सकती हैं, आराम करने का समय हो, पोषक खाना मिले, मन की शांति हो''* *''दुनिया में बच्चा लाने की ज़िम्मेदारी दोनों साथियों की होती है और इसलिए दोनों को तैयार होना चाहिए। परिवार और लड़कों के साथ यह समझ बनाने के लिए काम किया जाना चाहिए''* *''स्वस्थ मांएं बनने के लिए हमें परिवार का सहयोग और योजनाओं के लाभ मिलने चाहिए''*	*'यह सब जवान जोड़े के बीच की बात है'। जब एक साल तक गर्भ धारण नहीं हुआ, तो पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि बहू में 'कुछ कमी होगी'।''* *''जब तक बेटा पैदा नहीं होता, हमें बच्चे पैदा करते रहना होता है''।* *''माना जाता है कि 'अंश नहीं, वंश चाहिए'। लड़कियां हमारे शरीर का अंश मानी जाती हैं और लड़के 'वंश' आगे बढ़ाते हैं – वे परिवार का नाम आगे लेकर जाते हैं''*

रेपिड गूगल सर्वे ने दर्शाया कि केवल 2 प्रतिश्त लड़के लड़कियों ने कहा कि पत्नी गर्भ धारण करने का निर्णय लेती है। 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि गर्भ धारण करने के निर्णय में पति और पत्नी दोनों की प्रमुख भूमिका होती है, जबकि 24 प्रतिशत का मानना था कि यह निर्णय पति का परिवार लेता है। पहला गर्भ धारण कब किया जाना चाहिए पूछे जाने पर, युवाओं के जवाब थे (9 प्रतिशत) विवाह के एक वर्ष के अंदर (जो कि माता–पिता और समुदायों की इच्छा से अलग है)। 46 प्रतिशत ने कहा कि जब पति और पत्नी दोनों तैयार हों और 23 प्रतिशत विवाह के 1–3 वर्ष के अंदर गर्भ धारण किए जाने के पक्ष में थे। लेकिन केवल 10 प्रतिशत ने कहा कि यह तब होना चाहिए जब लड़की तैयार हो – जो कि हाशियाकृत समुदायों में विवाहित लड़कियों की अपना मत रखने की शक्ति न होने की स्थिति को दर्शाता है – पति और पत्नी दोनों द्वारा मिलकर लिया गया निर्णय, संभवतः पति की इच्छा के पक्ष में ही होगा।

युवा छोटे परिवार रखने के पक्ष में थे, जिनमें 82 प्रतिशत ने कहा कि अधिकाधिक 2 बच्चे होने चाहिए और 12 प्रतिशत 1 बच्चे के पक्ष में थे। 66 प्रतिशत युवा दो बच्चों के बीच में 2 वर्ष से अधिक का अंतर रखना चाहते थे, जबकि 27 प्रतिशत 2 वर्ष का अंतर चाहते थे। केवल 7 प्रतिशत एक वर्ष के अंतर के पक्ष में थे। जब पूछा गया कि यदि लड़कियां विवाह के तुरंत बाद गर्भ धारण न करना चाहें, तो किस चीज़ की आवयकता होगी, तो 40 प्रतिशत लड़कियों ने कहा कि उन्हें सुरक्षित यौन संबंध के बारे में जानकारी चाहिए और 30 प्रतिशत ने कहा कि लड़कियों में अपने पति/साथी के साथ यह चर्चा करने और निर्णय लेने की सक्षमता होनी चाहिए।

30 प्रतिशत लड़कियों और लड़कों ने कहा कि लड़कियों को गर्भकाल के दौरान पोषण, देखरेख और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है, जिससे कि वे स्वस्थ रह सकें जबकि 27 प्रतिशत का मानना था कि उन्हें यौन संबंध और गर्भ

धारण पर पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। विवाह की उम्र बढ़ाया जाना तीसरा चुना गया विकल्प था, जिसे केवल 18 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुना।

3.4 युवा लोग क्या चाहते हैं?

सभी युवा चाहते हैं कि वे अपने विवाह की उम्र खुद तय कर सकें, बजाए इसके कि यह निर्णय उनके माता–पिता उन पर थोपें। यह हमेशा झगड़े का कारण बना रहता है, यह युवाओं की आवाज़ और 5 राज्यों (850 युवाओं के साथ) में किए गए रेपिड गूगल सर्वे से साबित होता है, जिसमें निकल कर आया कि लड़कों और लड़कियों, दोनों को लगता है कि जल्द विवाह के 2 प्रमुख कारण हैं: लड़कियों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध न होना (28 प्रतिशत) और माता–पिता का डर कि वे अपनी पसंद के रिश्ते न बना लें (27 प्रतिशत)।

झारखंड में युवाओं ने कहा, *''हम विभिन्न आकांक्षाओं को परखना चाहते हैं (जो कि ज़्यादातर एक ही जाति समुदाय में संभव हैं), लेकिन हमारे पास वो स्वतंत्रता नहीं है''।*

ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिल नाड के युवाओं ने अपना साथी खुद चुनने की इच्छा के बारे में बताया और उनका कहना था कि वे विवाह को यौन संबंध करने के अवसर की तरह देखना नहीं चाहते:

''शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवाह ही एक तरीका क्यों है, उसके बिना क्यों नहीं, यह हमारी पसंद का मामला क्यों नहीं हो सकता।''

''हम जैसे–जैसे बड़े होते हैं, हम दूसरों की ओर आकर्षित होने लगते हैं और रिश्ते शुरू करते हैं लेकिन इसका समाधान विवाह नहीं है, लेकिन समाज हमेशा हमें बस यही एक समाधान/ रिश्ते का स्वाभाविक रूप बताता है''

''लॉकडाउन के दौरान, एक लड़का गांव में एक लड़की से मिलने आया, जो उसकी मित्र थी। उसके परिवार वालों ने उन्हें साथ में देख लिया और लड़के पर दबाव बनाया कि वह लड़की से शादी करे, जब उसने मना कर दिया, तो उसकी बेरहमी से पिटाई की गई।''

''हम चाहते हैं कि लड़के लड़कियां खुल कर मिल सकें, बातें कर सकें, अगर चाहें तो साथ रह सकें, चाहें तो विवाह कर सकें, युवाओं को यह सब अधिकार होने चाहिए, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है।''

4. लड़कियां अपना जीवन समानता, अधिकारों, चुनाव और आत्म–विश्वास के साथ कैसे जी सकती हैं?

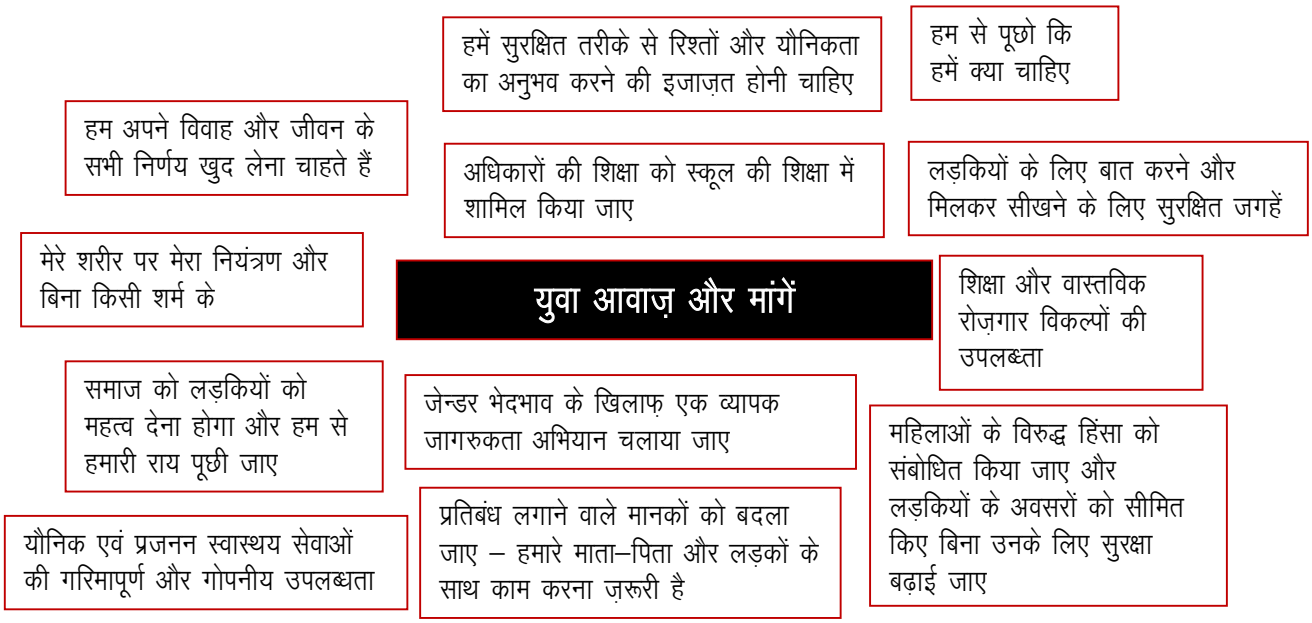

रेपिड गूगूल सर्वे में जब पूछा गया कि 'लड़कियां अपना जीवन समानता, अधिकारों और आत्म–विश्वास के साथ कैसे जी सकती हैं' तो 53 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि 'डर के बिना जी पाना और सीखने, समझने और आने–जाने की स्वतंत्रता के अवसर मिलने चाहिए' और 17 प्रतिशत लोगों ने कहा कि 'लड़कियों पर विवाह और बच्चे पैदा करने का दबाव न हो, लेकिन अपने जीवन की दिशा चुनने की स्वतंत्रता हो' और केवल 12 प्रतिशत ने कहा 'अगर उनका विवाह 21 वर्ष की उम्र तक हो'। इसी विषय पर की गई एक सामूहिक चर्चा में, तेलंगाना की दलित लड़कियों ने कहा 'जेन्डर भेदभाव को चुनौती देने के लिए एक व्यापक जागरुकता अभियान चलाया जाए'।

4.1 लड़कियों को उनके विवाह और मातृत्व की छवि से हट कर देख पाना

शहरी युवाओं के सर्वे में युवाओं ने कहा कि लड़कियों को सुरक्षित महसूस कराने का विवाह ही एकमात्र तरीका नहीं है। उनके अनुसार, अन्य पहलू जो लड़कियों को सुरक्षित महसूस कराते हैं, वे हैं अच्छी शिक्षा और रोज़गार के अवसर, आर्थिक स्थिरता और अपने शरीर और जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समाज में स्वतंत्रता और सुरक्षा, सम्मान और एक उत्पीड़न–मुक्त माहौल।

''हम विवाह करें या न करें, यह हमारा निर्णय है। हमेशा विवाह पर ही क्यों ध्यान दिया जाता है? हो सकता है कि इसके बजाए मुझे अपना काम स्थापित करने के लिए मदद की ज़रूरत हो'' (राजस्थान)

लड़कियों को अपने जीवन पर अधिकार और नियंत्रण पाने की आकांक्षा रहती है और वे ऐसे तरीके ढूंढती रहती हैं जिनसे उन्हें विवाहित होने या विवाह के रिश्ते में पारंपरिक भूमिकाओं में रहने के मानदंडों को तोड़ कर जीने के लिए सहयोग मिल सके। *''मैं विवाह होने से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूं और चाहती हूं कि विवाह के बाद भी काम करना जारी रहे। मैं अपनी पसंद से विवाह करना चाहती हूं। मेरी मां एकल महिला हैं। हांलाकि मुझसे उम्मीद की जाएगी कि मैं ससुराल में जाकर रहूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं यहां रहकर अपनी मां की देखभाल करूं''।* (तेलंगाना)

''सरकार इन चर्चाओं में ही व्यस्त रहेगी कि विवाह की उम्र यह होनी चाहिए या वह... लेकिन लड़कियों से कौन पूछ रहा है? सरकार को यह निर्णय लड़कियों पर छोड़ देना चाहिए। वे अपने निर्णय समझदारी से लेने में सक्षम हैं। सरकार को बस उनके लिए अच्छे अवसर और सहयोग के लिए सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, बाकी सब अपने–आप हो जाएगा। उम्र बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़कियों का सशक्तिकरण हो और उन्हें जानकारी दी जाए – वो अपने निर्णय खुद लेने में ज़्यादा खुश रहेंगी'' (राजस्थान)

लड़कियों ने अपने प्रजनन अधिकारों के बारे में खुल कर बात की और अपने लिए प्रजनन अधिकारों की मांग की तथा गर्भ धारण से जुड़े सामाजिक दबाव को रेखांकित किया। रेपिड गूगल सर्वे में, 80 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि 2 बच्चे ही पैदा करने चाहिए और 66 प्रतिशत ने कहा कि उनके बीच कम–से–कम 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए और यह भी कि बच्चे पैदा करने का निर्णय महिला के नेतृत्व में लेकिन महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर लेना चाहिए (62 प्रतिशत)। 54 प्रतिशत युवाओं ने कहा 'लड़कियों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए' और 'उन्हें गर्भ धारण के नियोजन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए'। वे जानना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई योजना शुरू क्यों नहीं करती; *''यह मेरा सामाजिक कर्तव्य बना दिया गया है कि मैं गर्भ धारण करूं और केवल लड़कों को जन्म दूं। मैं बच्चों का आनंद लेने के लिए उन्हें पैदा करना चाहती हूं वो मेरा अंश हैं, उनका वंश नहीं'। 'लड़कियों को पहला अधिकार होना चाहिए कि उन्हें बच्चे करने हैं कि नहीं, कब और कितने'। 'औरतों को यह कहने में शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि उन्हें यह गर्भ नहीं चाहिए। हमें गर्भ समापन का भी अधिकार है।' (तमिल नाड और राजस्थान में हुई चर्चाओं से लिए गए उल्लेख)*

4.2 लड़कियों के लिए अवसर, विकल्प और संपत्ति जुटाना

ओडिशा सर्वे में, 67.1 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के विवाह से पहले उसकी नौकरी और आमदनी होनी चाहिए।

''अगर लड़कियों को शिक्षित होने और नौकरी की इजाज़त दी जाए तो उन्हें सुरक्षित महसूस होगा। लड़कियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बहुत महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे उनके जीवन में मदद मिलेगी, इसके बजाए कि वे दूसरों पर आश्रित होकर जिएं'' (तमिल नाड़)

विशेषकर लड़कियां शिक्षा और नौकरी के विकल्पों को ऐसे तरीकों के रूप में देखती हैं जिनके माध्यम से वे अपने माता–पिता और ससुराल के परिवारों पर निर्भरता न्यूनतम कर सकती हैं और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकती हैं। और फिर वे जब इस स्थिति से रिश्तों को देखेंगी, तो वे निर्णय लेने में समानता और अधिक ज़िम्मेदारी की मांग करेंगी। शिक्षा के लिए सहयोग और रोज़गार उनकी प्रमुख मांगें हैं। रेपिड गूगल सर्वे में, 19 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा जारी रख पाने से लड़कियां सक्षम हो पएंगी कि वो तय करें कि वे विवाह करेंगी या नहीं, कब, किससे और कैसे।

''लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी छात्रवृत्तियां और अन्य योजनाएं लागू की जानी चाहिए जो उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देती हैं।'' (कर्नाटक)। 'सरकार को लड़कियों के लिए छात्रवृत्तियों और नौकरी में आरक्षण की योजनाएं बनानी होंगी जिससे कि उन्हें रोजगार पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल किया जा सके। लड़कियों को खेलकूद व अन्य कौशल, जिनका जुड़ाव करियर बनाने के विकल्पों से है, के लिए प्रोत्साहित करना अच्छा है। इसलिए लड़कियों की शिक्षा और सर्वांगीण विकास पर ज़ोर देना ज़रूरी है। लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ा देना जल्द विवाह का एकमात्र समाधान नहीं है।'' (ओडिशा)

आत्म–निर्भर होने के अलावा, महिलाओं को परिवार की संपत्ति में हिस्सा मिलना भी ज़रूरी है, जिससे कि वे सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। *''हमारे गांव में एक 24 वर्षीय महिला है, उसके दो बेटे हैं, कुछ समय पहले उसके परिवार में झगड़ा हुआ और उसके पति ने आत्महत्या कर ली। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। वह अपने माता–पिता के साथ रहती है, जो उसका और उसके बच्चों को खर्च उठाते हैं, उसे संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं मिल सकता'' (राजस्थान)*

4.3 यौनिक, प्रजनन और मासिक स्वास्थ्य और अधिकारों को बढ़ावा देना

ओडिशा सर्वे दर्शाता है कि 71 प्रतिशत युवाओं का मानना है कि लड़कियों और युवाओं को उनके विकास, जेन्डर प्रवृत्ति, और यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की जानकारी देकर उनका सशक्तिकरण करना मूल काम है और हर युवा के लिए यह उपलब्ध होना चाहिए और मज़बूत योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इस पर विस्तार करते हुए उनका कहना है कि, उनमें से 55.8 प्रतिशत अभी भी यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने माता–पिता पर निर्भर हैं और 48.7 प्रतिशत अपने दोस्तों, स्कूल, मीडिया पर। *''जब मेरी बड़ी बहन का विवाह हुआ उसे यौन संबंधों के बारे में कुछ भी नहीं पता था''*, *''स्कूल में टीचर प्रजनन का पाठ छोड़ देते हैं''* (राजस्थान)

कई युवाओं ने बताया कि अपनी पसंद से बनाए गए रिश्तों में हिंसा और दबाव होता है, जिसमें विवाह–पूर्व रिश्ते भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए गर्भ निरोधकों की समझ और उपलब्धता भी नहीं होती। सभी राज्यों में किशोर यौनिकता के आपराधीकरण के संदर्भ में गंभीर चिंता व्यक्त की गई *''विवाह की उम्र बढ़ाने से प्रेम, यौन संबंधों और सहमतिपूर्ण यौन संबंधों में शामिल युवाओं का आपराधीकरण भी बढ़ सकता है''*। अंतरंग रिश्तों को सामाजिक मान्यता (या कानूनी सुरक्षा) नहीं मिलती – हो सकता है कि बाद में युवा विवाह करना चाहें लेकिन इस समय को रिश्ते परखने के लिए उपयोग करें।

इसलिए, कई लोगों ने युवाओं के एक–दूसरे से मिलने (डेटिंग)/ प्रेम के रिश्तों और इनके संदर्भ में उनके सम्मान और समानता को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। ऐसी संस्कृति जहां युवाओं को बहुत कम अधिकार दिए जाते हैं, यौनिकता का विषय ही वर्जित हो और विवाह जीवन के लिए केन्द्रीय हो, वहां यौनिकता और अंतरंग रिश्तों को परखना/ समझना और उनके आधार पर विवाह के निर्णय लेना आसान नहीं है; *''एक लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया और वह घर छोड़ कर भाग गई। उसके माता–पिता उसे वापस ले आए और उसका किसी और से विवाह कर दिया। विवाह के बाद, उसके पति ने उसे छोड़ दिया और वह अपने माता–पिता के घर वापस आ गई। उसने दूसरे लड़के से बात करनी शुरू कर दी, उनकी लड़ाई हो गई और उसने आत्महत्या कर ली।''* (राजस्थान)

इन अधिकारों और स्वस्थ, समान और हिंसा–मुक्त यौन एवं अंतरंग रिश्ते बनाने के लिए, यह ज़रूरी है कि हमारे संस्थान इनकी मौजूदगी को नकारते न रहें, बल्कि जहां ज़रूरी हो वहां जानकारी, सहयोग, चर्चा और मार्गदर्शन के लिए सुरक्षित जगहें बनाएं; कानूनी रूपरेखाएं बढ़ती हुई क्षमताओं को मान्यता दें। *''लड़के लड़कियों (और सभी जेन्डर के लोगों) को एक दूसरे से खुल कर मिलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वे एक–दूसरे के साथ समय बिता सकें, अगर चाहें तो साथ रह सकें, चाहें तो विवाह कर सकें। युवाओं के इन अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए। अभी तो इन्हें अधिकार ही नहीं समझा जाता।''* (राजस्थान)

4.4 महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को संबोधित करना और स्वस्थ जीवनशैली के लिए सहयोग

53 प्रतिशत युवाओं का कहना है कि लड़कियों के लिए समानतापूर्ण और अपने चुनाव के आधार पर जीने के लिए 'बिना डर के जीवन जीने और सीखने, परखने और आने–जाने की स्वतंत्रता' होनी ज़रूरी है। *''मैंने देखा है कि उम्र में बड़ी औरतें जो नौकरियां करती हैं, वे भी हिंसा का सामना कर रही हैं। वे नौकरियां करती हैं लेकिन फिर भी खुद के निर्णय नहीं ले पातीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि विवाह की उम्र बढ़ा देने से लड़कियां सुरक्षित या सशक्त हो जाएंगी''। ''जब भी घरेलू हिंसा होती है, लड़कियों को अपने मां–बाप के घर से कोई सहयोग नहीं मिलता। लड़कियां इसके लिए तैयार नहीं होतीं। और असल में हिंसा के समय उनकी दूसरों पर निर्भरता और बढ़ जाती है, जो उनकी निर्णय लेने की शक्ति को और क्षीण कर देती है''* *(गुजरात और राजस्थान की चर्चाओं से)*। जब उनसे गर्भ धारण का नियोजन करने की अनुकूल परिस्थितियों के बारे में पूछा गया, तो लड़कियों ने कहा *''हमें शांति चाहिए, और उस समय कोई हिंसा या दबाव न हो''* (राजस्थान)।

बहु–राज्य सर्वे के अंतर्गत, दक्षिण भारत के तमिल नाड और कर्नाटक में हुई चर्चाओं से सार्वजनिक जगहों को सुरक्षित बनाने, स्कूलों को हिंसा–मुक्त बनाने और सुरक्षित यातायात की ज़रूरतें सामने आईं जो कि लड़कियों के लिए आने–जाने और अवसर उपलब्ध कराने की सुगमता सुनिश्चित कर सकती हैं। गुजरात, झारखंड और ओडिशा की लड़कियों ने सुझाव

दिया कि लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए उन्हें अनिवार्यतः आत्म–रक्षा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हिंसा का डर बहुत वास्तविक डर है और इसे संबोधित करने के लिए बहु–आयामी हस्तक्षेप करने होंगे।

लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें उनकी पसंद से बनाए गए रिश्तों में हिंसा होने पर सहयोग और सुरक्षा दी जाए। *''प्रेम के रिश्तों में बहुत हिंसा और दबाव होते हैं, मिलने, फोन पर बात करने और यौन संबंध बनाने के संदर्भ में। लड़के (साथी) हम पर निगरानी रखते हैं और हमारे बाहर जाने/ दूसरे पुरुषों से बात करने पर आपत्ति करते हैं। वे रिश्ता छोड़ने की धमकी देते हैं या कहते हैं कि वे कहीं और विवाह कर लेंगे। वे अपमानजनक भाषा का उपयोग करते हैं और कभी–कभी तो पिटाई भी करते हैं... लेकिन हमारे पास यह सब बांटने के लिए कोई नहीं है। इन सब मामलों पर हमें मार्गदर्शन कौन देगा?''* (राजस्थान)

एक अन्य मांग जो कई युवाओं ने उठाई वह है मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दिया जाना और सभी सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के लड़के–लड़कियों को उपलब्ध कराया जाना।

4.5 सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन करने और सुरक्षात्मक प्रणालियां लागू करने में निवेश करना

माता–पिता और सामुदायिक नेता अभी भी बच्चों के लिए निणर्य–निर्धारक बने हुए हैं, विशेषकर लड़कियों के लिए। आने–जाने, शिक्षा और विवाह के यह निर्णय लड़कियों पर थोपे जाते हैं और उनकी पसंद, निर्णय–निर्धारण और सहमति को कोई महत्व नहीं दिया जाता। यह उसके अपने जीवन पर अधिकार से उसे वंचित करता है।

झारखंड के युवाओं, जिन्होंने संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से अपने सुझाव भेजे, का कहना था कि माता–पिता, समुदाय, आस–पड़ोस के लोगों, सबके साथ हस्तक्षेप करना होगा क्योंकि मौजूदा जेन्डर मानदंड और पारंपरिक सोच ने एक ऐसा दुष्चक्र बना दिया है, जिसे कोई बदलने को तैयार नहीं है। जहां भी लड़कियां उच्च स्तरीय शिक्षा पूरी कर पाई हैं, वह उनके माता–पिता के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। इसी प्रकार ओडिशा सर्वे से निकल कर आया कि बड़ी संख्या में युवा देर से विवाह करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह भी अहसास है कि ऐसा कानून में परिवर्तन करने से नहीं होगा, बल्कि सामाजिक मानदंडों और माता–पिता की मनोदृष्टि में बदलाव लाना होगा। *''जब यह उम्र 18 वर्ष है, तब भी वे हमें नहीं छोड़ते तो आपको क्या लगता है कि वे इतनी देर तक हमें रहने देंगे! जब तक मनोदृष्टि नहीं बदलती, तब तक उम्र बदलने से कोई प्रभाव नहीं होगा''।* (राजस्थान) *''चूंकि माता–पिता लड़कियों को एक ज़िम्मेदारी समझते हैं, जिसका ध्यान रखना पड़ता है, वे जल्द विवाह करवाना चाहते हैं जिससे कि वे अपनी ज़िम्मेदारी से जितना जल्दी हो, मुक्त हो सकें। लड़कियों को आम तौर पर 'ज़िम्मेदारी' समझा जाता है जिसे माता–पिता के परिवार से दूल्हे के परिवार को सौंपा जाता है। वे पैसों के बदले में भी लड़कियों का विवाह करते हैं। कुछ बाल विवाह बहुत नज़दीकी रिश्तेदारों के बीच भी होते हैं। लड़कियों और लड़कों के लिए बेहतर जीवन के विकल्पों में भी भेदभाव मौजूद है।'' (कर्नाटक)*

ओडिशा सर्वे में लगभग 40 प्रतिशत युवाओं का मानना था कि *''अंतरंग रिश्तों में शामिल जोड़ों को परिवार के हस्तक्षेप के डर से घर छोड़ कर भागना पड़ता है क्योंकि उन्हें कोई सहयोग नहीं मिलता, बल्कि उनकी ओर से विरोध और हिंसा का सामना करना पड़ता है।''*

युवाओं का कहना है कि मानदंडों में बदलाव की प्रक्रिया को सरकार के नेतृत्व में किया जाना चाहिए। *''सरकार को सामाजिक मानदंडों के बदलाव के लिए परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं और एक सक्षमकारी माहौल बनाने, परिवर्तित व्यवहारों के लिए प्रोत्साहन और सहयोग में निवेश करना चाहिए, न कि कानूनी नियंत्रण और/या आपराधीकरण में''।*

''सरकार को समुदाय और परिवारों की मनोदृष्टि बदलने पर काम करना चाहिए, न कि विवाह की उम्र के लिए नए कानून पर। उन्हें विवाह पर होने वाले खर्च को कम करने के बारे में बात करनी चाहिए जिससे कि दो लड़कियों का एकसाथ विवाह न किया जाए या दहेज का दबाव न हो। विवाह की उम्र चाहें कुछ भी हो, ज़रूरी है कि लड़कों और परिवारों को जागरुक किया जाए और उनकी मनोदृष्टि बदली जाए। 18 वर्ष की उम्र से कोई समस्या नहीं है, अगर लड़कियों को निर्णय–निर्धारक की भूमिका में स्वीकार किया जाए''। (राजस्थान)

लड़कियों ने चले आ रहे पितृसत्तात्मक मानदंडों से उत्पन्न सामाजिक अनुकूलन के विषय में बात की और कहा कि इसका पलटने के लिए सामुदायिक स्तर पर मज़बूत और निरंतर परिवर्तन के प्रयास करने ज़रूरी हैं *'जब निर्णय लेने की बारी आती है, तो हम बचपन से देखते आएं हैं कि हमारी मां या चाची कभी नहीं बोलतीं, तो हमें भी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए विरोध करने के लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। हमें सहयोग की आवश्यकता महसूस होती है। हमें इतना मज़बूत होना पड़ेगा कि हम दबाव और चुनौतियों को समझ सकें, उनके आगे झुकें नहीं... इसके लिए हमें अपनी क्षमता बहुत बढ़ानी होगी। विवाह की उम्र बढ़ाने के बजाए, सरकार को स्कूल और स्कूल के बाहर योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की ऐसी क्षमताएं बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए।'*

युवाओं ने एक सुरक्षा तंत्र बनाने का भी सुझाव दिया जो 'सुरक्षात्मक न हो, बल्कि युवा आवाज़ों और विकल्पों के प्रति सक्षमकारी और सहयोगी हो *'12वीं तक हर स्कूल (सरकारी, अनुदान–सहायता वाले, निजि, आवासीय) में बाल सुरक्षा नीति और कमिटियां''। (ओडिशा)।*

'कुछ लड़कियां हैं जो सामाजिक मानदंडों के खिलाफ़ बात करती हैं और हमेशा नेतृत्व भी लेनी चाहती हैं। लेकिन उन्हें आसपास के माहौल के कारण डर लगता है और वे बोल नहीं पातीं। गलत नियमों और मानदंडों के खिलाफ़ बोलना क्या लोकतांत्रिक नहीं है? क्या ऐसे नेताओं की सुरक्षा करना सरकार की ज़िम्मेदारी नहीं है?' (राजस्थान)

4.6 लड़कियों के लिए सशक्तिकरण योजनाएं बनाना

शहरी सर्वे के उत्तरदाताओं ने कहा कि लड़कियों और युवाओं के लिए शिक्षात्मक संस्थानों, परिवार, कार्यस्थल और समाज में सुरक्षित जगहें बढ़ाने से उनमें बचाव और सुरक्षा की भावना आएगी। रेपिड गूगल सर्वे के 19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा 'लड़कियों के संगठनों में समानता और अधिकारों के विषय पर चर्चाएं लड़कियों के सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि वे बड़े होकर समानता, अधिकार और अपने चुनावों के साथ जीवन जी सकें।'

'यह युवाओं का निर्णय होना चाहिए कि वे विवाह कब करना चाहते हैं। यह उनका अधिकार है और ऐसे अधिकारों के विषय में सब को जागरुक होना चाहिए। लड़कियों को निर्णय लेने दो कि उन्हें कब विवाह करना है।' (ओडिशा)

तमिल नाड में हुई चर्चाओं में, भागीदारों ने ऐसे सक्षमकारी पहलुओं की सूचि बनाई जो लड़कियों को कम उम्र और जबरन विवाहों को चुनौती देने में मदद कर सकते हैं: बाल क्लब के प्रयास और सहयोग तथा ग्राम विकास कमिटियां, चाइल्डलाइन (पूरे भारत में बच्चों के लिए हेल्पलाइन) जैसी सेवाओं की जानकारी और उपलब्धता।

गुजरात में, लड़कियों ने अधिकारों की शिक्षा, जीवन कौशल प्रशिक्षण, आत्म–रक्षा प्रशिक्षण और शरीर की जागरुकता को लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण पहलू बताया। *'लड़कों और लड़कियों दोनों के साथ आत्म–जागरुकता पर सत्र करना जिससे कि वे अपने सपनों को जान/समझ सकें। एक युवा के रूप में, वे सपने देख सकते हैं, और वे कुछ भी करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, और अगर ज़रूरत हुई तो माता–पिता का सामना भी करेंगे। लेकिन उसके लिए युवाओं को अपने सपनों के बारे में स्पष्ट होना होगा। अगर उन्हें नहीं पता है, तो वे अपने जीवन के बारे में कुछ सोचे बिना, वही करेंगे जो उनके माता–पिता कहेंगे।' (गुजरात)*

ओडिशा में एक चर्चा के एक भागीदार ने कहा *'युवाओं, विशेषकर लड़कियों को, प्रेशर कुकर जैसा दबाव महसूस होता है और उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है'*। इसलिए, क्षमताएं, जानकारी, समझ बढ़ाने, और सहमति बनाने की दिशा में काम करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिए, न कि उम्र पर। राजस्थान में हुई चर्चा में लड़कियों ने कहा *'लड़कियों के लिए सुरक्षित जगहें होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से गांव में भी हम इस मानचित्रण के माध्यम से यह समझ पाए कि हम कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं: एक लड़की के जीवन को कितने सारे पहलू प्रभावित करते हैं और वह उन सब का सामना करती रहती है, उसके पास यह सब बांटने या चर्चा करने की कोई जगह नहीं होती। हमें लड़कियों के साथ काम करने के लिए एक बहु–आयामी सहयोग प्रणाली चाहिए। केवल विवाह की उम्र बढ़ा देना पर्याप्त नहीं है।'*

कर्नाटक में, युवा संस्थाओं की शक्ति को एक प्रमुख सहयोगी संरचना माना गया *'कुछ बाल विवाह युवा संघों ने रोके, जैसे कि भीम संघ। इसलिए सरकार के लिए ज़रूरी है कि युवाओं को संगठित और मज़बूत बनने में मदद करे जिससे कि बाल विवाह होने से रोके जा सकें।'*

निष्कर्ष

सशक्तिकरण

यह ज्ञापन 1700 युवाओं की आवाज़ों के सम्मिश्रण से तैयार हुआ है। उन्होंने अपने जीवन की वास्तविकताओं के आधार पर उन सब मुद्दों का वर्णन किया है जिन पर कार्यदल ने गंभीरता से विचार करना चाहिए – लड़कियों के जल्द विवाह, मातृ और शिशु कुपोषण के कारण और प्रणालीगत मुद्दे – जिससे कि वे अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें। उनके अनुसार, इससे कम में किसी भी मुद्दे को संबोधित नहीं किया जा सकता, और यदि इन्हें संबोधित नहीं किया गया तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी, इसके कारण उन्हें हानि भी पहुंचेगी और वही लोग अपराधी बन जाएंगे, जिनकी सरकार सुरक्षा करने की कोशिश कर रही है।

इस ज्ञापन की रूपरेखा लड़कियों, युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संदर्भ रखती है। युवाओं ने जिन मुद्दों पर चर्चा की है वे – एक व्यक्ति, समुदायों के सदस्य और भारत के नागरिकों के रूप में, लड़कियों और महिलाओं की स्थिति को परखते हैं। वे उनकी पहचान, उनके लिए उपलब्ध अवसरों, उनके अधिकारों और उनके हक़ों के विषयों पर बात कर रहे हैं। विवाह के समय उम्र स्पष्ट रूप से इस व्यापक पृष्ठभूमि का एक हिस्सा मात्र है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि युवा यह नहीं मानते कि 'जीवन की गुणवत्ता' केवल विवाह और बच्चों के पालन–पोषण तक सीमित है।

''विवाह ही सब कुछ नहीं होता'' सभी राज्यों में कई युवाओं ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया।

युवा लड़कियों और युवाओं ने कड़ी आलोचना की है कि उनके जीवन के हर कदम पर, उनके अस्तित्व के हर क्षेत्र में, उनकी व्यक्तिपरकता को नकारा जाता है। वे विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे उन्हें जेन्डर अनुपात के आधार पर शासित किया जाता है, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे बिना सवाल पूछे पुरुषों, बड़ों और समुदाय के शक्तिशाली निर्णय–निर्धारकों के फरमानों का पालन करेंगे। अपने हमजोलियों के बीच होने वाले भेदभाव के प्रति भी वे जागरुक हैं और किस तरह उनके घरों, स्कूल, कार्यस्थल और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है।

उन्होंने अनगिनत उदाहरण दिए कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक, शोषक तरीके पीढ़ी–दर–पीढ़ी दोहराए जाते हैं, यहां तक कि उनके खुद के परिवारों में भी और उनके चारों ओर। उन्हें कोई गलतफ़हमी नहीं है कि उनकी ससुराल उनके माता–पिता के घर से अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि लड़कियों की स्वाधीनता सीमित होती है और विवाह के बाद तो वह लगभग ख़त्म ही हो जाती है – और वे परिवार नियोजन व गर्भ धारण के विषयों पर अपने मत रखने की स्थिति में ही नहीं होतीं। यहां तक कि खाने जैसी मूल चीज़ में भी अक्सर उनका सबसे छोटा हिस्सा होता है। उन्होंने बात की कि किस प्रकार उन के जन्म पर शोक मनाया जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा 'बोझ' समझा जाता है, जिसे जितना जल्दी हो सके दूसरे को सौंप दिया जाए।

वे यह कहने से हिचकिचाए नहीं कि *''वैसे भी, वो हम लड़कियों की देखरेख करने में कोई रुचि नहीं रखते, जब तक कि हमारी उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाती। अगर विवाह की उम्र को 21 वर्ष कर दिया जाता है, तो कन्या भ्रूण हत्या की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी''।*

विवाह और मातृत्व में विलंब को कई युवा अच्छा मानते हैं। लेकिन, इस उद्देश्य के लिए विवाह की उम्र को बढ़ाए जाने की वैधता को वे चुनौती देते हैं। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जो देर से विवाह करने के लिए 'सज़ा' और 'प्रोत्साहकों' के बीच में अंतर को स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि युवा लड़कियों के लिए अवसर पैदा करना ज़रूरी है और वह विवाह की कानूनी उम्र बढ़ा देने से अपने आप नहीं होगा। उदाहरण के लिए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार गरीबी परिवारों को जल्द विवाह करवाने के लिए मजबूर कर देती है – जिससे कि वे अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी की ओर से मुक्त हो जाएं; दो लड़कियों के विवाह एक–साथ कर देने से विवाह का खर्च बचाते हैं, विवाह का कवच दे देने से संभवतः उनका शोषण होने से बच जाए।

ज़्यादातर युवा कोविड के कारण दुर्दशा की स्थिति में हैं। इससे उनके परिवारों की असुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है – जिसके कारण जल्दबाजी में उनके विवाह तय किए जा रहे हैं। कोविड के कारण कई लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ा है;

संकट के कारण वापस पलायन के चलते कई लड़कियां वापस गांव आ गई हैं, और रोतोंरात ये सब लड़कियां ऐसी स्थिति में आ गई हैं जहां उनका विवाह कभी भी किया जा सकता है। कई युवाओं ने गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा की कमी के बारे में बात की – और उन्होंने अनुरोध किया है कि सरकार पहले इन पहलुओं को संबोधित करे – *'अगर यह नहीं किया जाता, तो फिर केवल कागज़ों पर विवाह की उम्र बढ़ाने का क्या फायदा?'* वे पूछते हैं।

जेन्डर की रूढ़िवादी छवियों और सुरक्षा की धारणाओं को चुनौती देते हुए, वे समुदायों में होने वाली व्यापक हिंसा और संस्थागत हिंसा के बारे में बात करते हैं, जिसमें पुलिस, स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों और कार्यस्थलों पर होने वाली हिंसा भी शामिल है – घरों के अंदर और घर के बाहर। वे इनके बीच सहसंबंध स्थापित करते हुए बताते हैं – उदाहरण के लिए, बिना लाइसेंस की शराब की निर्बाध बिक्री के कारण शराब को दुरुपयोग होता है, जिसके कारण घरेलू हिंसा बढ़ती है, और उसके परिणामस्वरूप मांएं अपनी बेटियों का जल्द विवाह करवा देना चाहती हैं, जिससे कि उन्हें इस हिंसा के चक्र से बचा सकें, जिससे वे खुद नहीं बच सकतीं।

उन्होंने अपने विकास की यात्रा में यौनिकता के महत्व पर ध्यान से विचार किया है। जानकारी न होना, जागरुकता, मार्गदर्शन की कमी के कारण वे अपने रिश्तों में भी संघर्ष करते हैं और अपने शरीर तथा कल्याण के लिए निर्णय लेने के अधिकार भी उनको नहीं मिलते। जो सहयोगी संरचनाएं उनको राहत देने के लिए बनाई गई हैं, वे उन्हीं को आलोचना की दृष्टि से देखती हैं और पक्षपात करती हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी कमज़ोर हो जाती है। कभी–कभी युवा खुद जल्द विवाह का चयन करते हैं, क्योंकि उनके समाज में, प्रेम और यौन संबंधों को केवल विवाह के रिश्ते के अंतर्गत ही मान्यता दी जाती है।

चर्चाओं में शामिल कुछ परि–शहरी/ कॉलेज जाने वाले और आर्थिक रूप से स्थिर परिवारों के युवा, जिनका सभवतः 21 वर्ष उम्र से पहले विवाह नहीं होगा, उन्होंने जल्द एवं ज़बरदस्ती विवाह का खामियाज़ा भुगत रहे युवाओं के प्रति सहानुभूति प्रकट की। अपने लिए, वे विवाह की उम्र को स्वतंत्रता और अधिकार की नज़र से देखते हैं, जिसे वे 18 वर्ष की उम्र के बाद प्रयोग कर सकते हैं। यदि वे खुद अपना साथी चुनते हैं, तो उन्हें समुदायों के रोष का सामना करना पड़ता है। उन्हें चिंता है कि अगर विवाह की उम्र को 21 वर्ष तक बढ़ा दिया जाएगा, तो जो उससे पहले विवाह करना चाहते हैं उनका आपराधीकरण होगा।

उन्होंने शिक्षा से संबंधित अपनी आकांक्षाओं के बारे में खुल कर बात की – शैक्षणिक और व्यावसायिक, दोनों के बारे में – और इन्हें प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। वे ऐसी नौकरियां चाहते हैं जो उन्हें सुरक्षा, विकास के अवसर दें और उनके कर्मचारी अधिकारों को बरकरार रखें। वे चाहते हैं कि उनके योगदान को मान्यता और मूल्य दिया जाए।

संक्षिप्त में कहा जाए तो, वे अपनी व्यक्तिपरकता व्यक्त करना चाहते हैं, सुरक्षित रहकर, अपने अधिकारों का बिना शर्त प्रयोग और अपने जीवन के हर पहलू के बारे में अपने खुद के सूचित निर्णय लेना चाहते हैं, जिसमें शामिल है कि वे विवाह करेंगे या नहीं, किससे और कब।

इस ज्ञापन का अगला अंश इसका केन्द्रीय पहलू है जिसमें युवाओं के शब्दों और विचारों को ईमानदारी से रिकॉर्ड किया गया है। उनके विचार केवल कार्यदल के लिए ही नहीं हैं। सामूहिक तौर पर, 'युवा आवाज़' प्रक्रिया युवाओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर उनके साथ काम करती रहेगी।

यह ज्ञापन पढ़ कर, एक बार फिर स्पष्ट हो जाएगा कि युवा किस प्रकार यथास्थिति को चुनौती देते हैं, नकारात्मक सामाजिक प्रथाओं का सामना करते हैं और तुल्यता को पुनर्परिभाषित करते हैं। वे इस का सबूत हैं कि किस प्रकार वे परिवर्तन लाने के शक्तिशाली एजेंट बन सकते हैं, जिससे सतत और पीढ़ीगत बदलाव लाए जा सकते हैं।

परिशिष्ट १

युवाओं की आवाजें एकत्रित करना : <u>पृष्ठभूमि</u>

इस चर्चा की सोच दरअसल लड़कियों युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। लड़कियों और लड़कों की स्वतंत्रता और उनके अवसरों को विस्तार देना इसका उद्देश्य है । शादी की उम्र इस चर्चा में एक महत्वपूर्ण , परन्तु उपप्रश्न है। इसलिए यह जरूरी होगा की युवाओं के साथ इस चर्चा को इस व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखते और चलाते हुए उनके सुझावों और अनुशंसाओं को उसी संदर्भ के साथ दर्ज किया जाए। यह महत्वपूर्ण है कि उनकी सहभागिता पूरी जानकारी के साथ हो और उनके लिए सार्थक भी हो।

प्रस्तावित संशोधन विभिन्न आयु समूहों को दो अलग तरीके से प्रभावित करेगा।

- 15 से 18 के आयु समूह में : वर्तमान कानून के तहत भी हम देखते हैं कि यह आयु समूह तादाद में कम उम्र की शादी का शिकार है.। जिसका प्रमुख कारण बेहतर विकल्प या अन्य मौकों की कमी है। हम यह भी देख रहे हैं कि वर्तमान कानून कैसे संरक्षण से ज्यादा अपराधीकरण के लिए उपयोग हो रहा है? वर्तमान कानून 18 की उम्र पार कर लेने पर भी इस आयु समूह के लिए प्रासंगिक होगा।
- जो लोग 18 से 21 की आयु समूह में है उनके लिए, उपरोक्त सभी बातों के साथ-साथ यह सवाल भी जुड़ जाता है के वयस्क हो जाने पर भी उनके खुद के लिए फैसले लेने के दायरे संकुचित हो जाएंगे।
- युवाओं की आवाजों को जुटाने का प्राथमिक उद्देश्य है उनकी राय जानना और राय के पीछे के कारणों को समझना . जो भी युवा 21 वर्ष के कानूनी न्यूनतम आयु को बेहतर मानते हैं या 16 -17 वर्ष को शादी के लिए एक उपयुक्त न्यूनतम उम्र मानते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जान सके कि वह ऐसा क्यों महसूस करते हैं? इसके पीछे के कारण क्या है ? क्या पैतृक परिवार में होने वाले दुख और तकलीफ चाहे वह गरीबी, देखभाल की कमी से हो? या शिक्षा या अन्य सीखने के मौकों की कमी के चलते? या फिर शादी की अनिवार्यता के चलते कि वह होनी ही है? या क्या यौन रिश्तों को जी पाने की शादी के आलावा कोई दूसरी वाद्य जगह न पाने के चलते।
- यह महत्वपूर्ण होगा कि जब हम सवाल पूछे तो शहरी या कस्बाई युवा जो शायद कॉलेज जाते साधन संपन्न सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य वाले परिवारों से आते हो(जिनके ऊपर 21 वर्ष से पहले जबरदस्ती शादी का खतरा कम है और जो स्वयं भी 21 वर्ष के बाद ही शादी करना पसंद करें) भी इस चर्चा को स्वायत्तता और चयन के अधिकार के प्रश्न की तरह देख सकें।उम्मीद की जा सकती है।इस चर्चा में वे अपने अन्य युवा साथी जो इस कायदे के बदलाव से प्रभावित होंगे, उनकी चुनौतियों को पहचान सकेंगे। और उस को ध्यान में रखते हुए अपनी राय रख सकेंगे

- लड़कियों की शादी की उम्र में देरी सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने का इरादा हम सभी के लिए वंचित है, पर क्या इन तक पहुंचने के लिए? एक कानूनी दरिया बेहतर है और क्या वह सफल होगा? इस पर बात करने की जरूरत है की शादी की उम्र कोनिलंबित करने के लिएकानूनी सजा जैसे प्रावधान कारगर होंगे या प्रोत्साहन कारी प्रावधान। प्रोत्साहन कारी प्रावधानों में किस तरह की बातों को शामिल करने की जरूरत है?

- हम जानते ही हैं कि समुदायों की राय समुदायों की प्रथाओं से जुड़ी होती है बहुत से सामुदायिक सदस्य अपनी निजी हितों के चलते सामुदायिक प्रथाओं को चलाएं रखते हैं जैसे धार्मिक नेता स्थानीय सूदखोर। शादी से जुड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में अपना फायदा देख सकते हैं। यह समझने की दरकार है कि यह नया कानून बच्चों किशोरों और युवाओं के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या नयी सोच लेकर आता है?
- जो किशोर और युवा अपनी शादी को दरअसल विलंबित कर पाए हैं उनसे सीखने को बहुत कुछ है। उन्हें ऐसा कर पाने में किन बातों ने मदद की? अपनी राय और फैसले को मजबूती से रखने में वे कैसे सफल हुए ? क्या जानकारी और जागरूकता ने मदद की? क्या किसी समूह संगठन की सदस्यता ने? शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था होने। या क्या किसी कानून और कानूनी कार्रवाई में।

- युवाओं के बीच चर्चा चलाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कई देशों में शादी की न्यूनतम कानूनन उम्र को यौन क्रियाओं की सहमति देने के न्यूनतम कानूनन उम्र से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ज्यादातर देशों में सहमति के कानूनी उम्र शादी की कानूनन उम्र से कम है। पर इस बारे में सचेत रहना जरूरी है। कि क्या लड़कियों के न्यूनतम कानूनन उम्र को बढ़ाने का यह प्रस्ताव युवाओं की योनिकिता औयौन स्वस्थ्य और यान अधिकारों के बारे में जानकारी सहयोग मार्गदर्शन पाने में कोई नई अड़चनें तो नहीं खड़ा करेगा? पोक्सो कानून के विश्लेषण में यह पाया जा रहा है की तादाद में युवा और किशोरों को वाभाविकयौनिक रिश्तों के लिए अप्राधिकृत किया गया है ।
- चर्चा में यह एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या लिंग समानता शादी की उम्र और प्रजनन से जुड़े सुरक्षा से ही हासिल हो सकती है। क्या लड़कियों के लिए लिंग समानता की परिकल्पना इससे आगे और कुछ नहीं?
- उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हुए देश की व्यापक किशोर और युवा जनसंख्याऔर व्याप्त गरीबी को ध्यान में रखते हुए यह भी समझने की जरूरत है।
- कौशल शिक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल के विकल्प कैसे तैयार होंगे? और इनमें काम करने के साथ-साथ युवा अपनी शिक्षा को कैसे जारी रख पाएंगे? क्या इन पहलुओं को भी हम उच्च शिक्षा में शामिल करते हैं? अगर नहीं तो बहुत से बच्चे सरकारी स्कूलों में बेहतर तरीके से पढ़ लिख नहीं पाते। उनके लिए उच्च शिक्षा के क्या मायने होंगे?
- कोविड के चलते उभरे हालात लड़कियों के लिए किस तरह की परिस्थितियां निर्मित कर रहे हैं? और इस व्यापक परिस्थितियों को समझते हुए ही हम केवल शादी और घरेलू या यौन शोषण से जुड़ी नहीं बल्कि एक व्यापक संदर्भ में लड़कियों की परिस्थितियों के बारे में सोचने की जरूरत है।
- हम कैसे लड़कियों की जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं जिससे कि वह देरी से शादी को खुद चुन सकें? लड़कियों के सुरक्षितता की सोच में क्या बातें शामिल हैं? इस सोच में उनके परिवारों और समुदायों के किस तरह की सुरक्षा अनिवार्य होगी? और इन सुरक्षा ओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकारों की क्या भूमिका होगी?
- चर्चा में यह जानना जरूरी होगा कि युवा सहभागी किन व्यक्तियों संस्थाओं को ताकतवर मानते हैंऔर उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं?

परिशिष्ट २ :**कछ संभावित सवाल/ पड़ताल के दायरे।**

1. क्या आपके समुदाय में 18 वर्ष से कम उम्र में शादियां होती हैं? अगर हां तो आपको क्या लगता है कि यह प्रथा क्यों कायम है? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

   a. अगर आपके समुदाय में 18 साल से कम उम्र की लड़कियां और 21 से कम उम्र के लड़के अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो वह ऐसा क्यों चलते हैं?

   b. अगर माता-पिता बाल विवाह करते हैं तो वह ऐसा क्यों करते हैं?

   c. इनके अलावा आपके समुदाय में बाल विवाह को कौन समर्थित करता है? उदाहरण के लिए सूदखोर, सामुदायिक नेता, धार्मिक नेता, रिश्तेदार आदि।

   और भी ऐसा क्यों करते हैं?

2. आप ऐसे लड़के लड़कियों या उनके परिवारों को भी जानते होंगे जो कि कम उम्र या बाल विवाह से बच सके हैं। उन्होंने ऐसा कैसे किया? ऐसा करने में किन बातों ने उनकी मदद की और क्या उनकी चुनौतियां थी?

3. हमारे देश में एक कानून है जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल के कम उम्र के लड़कों की शादी को निषिद्ध करता है।

   a. क्या आप इस तरह के कानून के बारे में जानते हैं? क्या आपने आपके दोस्तों या भाई बहनों ने कभी इस कानून को बाल विवाह को रोकने के लिए उपयोग किया है?

   b. क्या आपको लगता है कि यह कानून बाल विवाह की प्रथा में बदलाव लाने में सफल हो पाया है। अगर हां तो क्या सफलताएं हैं?

   c. बाल विवाह की प्रथा में बदलाव कानूनी तरीके से कैसे आ सकता है? अगर नहीं तो क्यों नहीं सफल हो पाया? और क्या बातें होती तो यह बदलाव संभव होता? आपके विचार में बाल विवाह की प्रथा में बदलाव लाने के लिए सरकार को क्या करने की जरूरत है?

4..अगर कोई लड़का या लड़की शादी करना चाहे तो आपके हिसाब से इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्र क्या होगी?

5.उम्र के अलावा वह कौन से हालात हैं जो कि किसी भी लड़कियां लड़के के लिए शादी करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अगर वह खुद शादी करना चाहे।

6..आप जानते ही हो कि बहुत से युवा लोग लड़कियां और लड़के यौन संबंधों में सक्रिय हैं। आपके हिसाब से उन्हें किस तरह के सहयोग मार्गदर्शन या जानकारी की जरूरत होती है? क्या आपको लगता है कि उन्हें यह मिल पाता है। अगर हां तो कहा से, किससे और कैसे? और अगर नहीं तो क्यों नहीं मिल पाता?

7. हाल ही में एक प्रस्ताव आया है कि लड़कियों की शादी के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र को 21 वर्ष कर दिया जाए। जब कानून में इस तरह के बदलाव के बारे में सरकार सोचे तो आपके हिसाब से क्या उन्हें लोगों से राय लेनी चाहिए? अगर हां! तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं ? अगर हां तो आपके हिसाब से किन-किन से राय लेनी चाहिए? क्यों?

8.अगर लड़कियों के शादी के कानूनी न्यूनतम उम्र 21 कर दी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ेगा?क्या वह लड़कियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक स्थितियां निर्मित करेगा या नयी चुनौतियां खड़ी कर देगा?

इस तरह का कानून जो लड़कियां 21 साल के बाद शादी करना चाहती हैं, उन्हें कैसे मदद करेगा या जो उससे पहले शादी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या चुनौतियां खड़ी करेगा?

9. क्या शादी हो एकमात्र तरीका है जिससे लड़कियां सुरक्षित महसूस करें? क्यों? अगर नहीं! तो और कौन सी जरूरत है या हालात है जो लड़कियों को अपने भविष्य के बारे में सुरक्षित महसूस करा सकते हैं?

10. कोरोना के इस दौर में लड़कियों और युवाओं के सामने किस तरह के मुश्किलात हैं?

11. सरकार की ओर से यह चर्चा भी है कि लड़कियों और युवा महिलाओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर करने के लिए भी कोशिश होनी चाहिए।

आपके हिसाब से इसके लिए किस तरह के सुविधा और सहयोग की जरूरत होगी? खास तौर पर कोविड-19 में रखते हुए।

12. साथ ही सर्कार लड़कियों की उच्चा शिक्षा तक पहुंच बढ़ने के लिए भी चिंता रखती है.आपकी जानकारी में किस तरह की उच्च शिक्षा अभी उपलब्ध है?और किस तरह की शिक्षा उपयोगी होगी? आपके आसपास किस तरह के व्यावसायिक कौशलों की शिक्षा उपलब्ध है। और किस तरह की शिक्षा उपयोगी होगी? लगता है की आर्थिक सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा में औपचारिक शिक्षा की नींव की क्या जगह होगी?

13.इस पर भी चर्चा हो रही है कि लड़कियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसे करें?आपके आसपास लड़कियों के लिए किस तरह के काम और नौकरियां उपलब्ध है?
इन काम के मौकों में या नौकरियों में किस तरह की सुविधाएं या सुरक्षा में शामिल हैं? काम से जुड़ी हुई किस तरह की समस्याओं का आप आम तौर पर सामना करते हो?इनसे निपटने के लिए आपको क्या चाहिए?

14. उपरोक्त सभी सवालों पर जो मसले आपने उठाए हैं और जो सुझाव दिए हैं, आपके हिसाब से इन्हें किन-किन से बांटना चाहिए?

a. उस कार्य दल से जो सरकार द्वारा बनाई गई है मातृत्व स्वास्थ्य शादी की उम्र और लड़कियों की उच्च शिक्षा पर राय देने के लिए।
b. आपकी ग्राम पंचायत से। क्यों?
c. आपके जिला प्रशासन या राज्य सरकार से क्यों?
d. आपके जिले में रहने वाले दूसरे युवा युवाओं से। दूसरे राज्यों के युवाओं से क्यों?
e. सामाजिक संस्थाओं से। क्यों?
f. मीडियाकर्मियों से जो।
g. किसी और से? क्यों

परिशिष्ट 3 :

Brief profile of zonal representatives who attended the Youth Consultation held by the Task Force on July 17th 2020

From North Zone:

Name: Damini, Age : 19 years, District : Hardoi

Brief: Damini lives in a small village of Hardoi. She is one of the 5 children of a family, living below the poverty line and totally dependent on agriculture income. Damini is an undergraduate student, takes tuitions in her village to support her education cost. She is a Girl Icon Fellow where she works with a peer group of 20 girls in her community to engage, learn, and act. Over the last 18 months of her fellowship, she has saved 4 children from getting married and is an advocate for equal opportunity for girls. She believes that girls should have access to quality education, us-skilling facilities, and jobs to be able to lead a life of dignity and independence.

From South Zone:

Name: P Fathimabi, Age: 17 years, District: Bellary district, Karnataka (Nandihalli GP, Huvinahadagali taluk)

Fathima is a member of Bhima Sangha, a union of working children and adolescents, which has been active since 1990. She works as a helper in a garments store. Fathima has actively taken part in the discussions held with local authorities and elected representatives during children's and women's Gram Sabhas to raise their issues and has taken part in the capacity building programmes conducted for the members of Bhima Sangha. She has represented Bhima Sangha in several forums such as: the sessions related to Youth Policy, convened by the Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (RGNIYD), the International Forum and International Meeting at La Paz, Bolivia on approaches to work and the first Taluk level Child Rights Task Force meetings convened in North Karnataka to raise issues faced by working children and their redressal.

From West Zone:

Name: Mamta Jangid, Age : 19 years, District : Kekdi Block, Ajmer, Rajasthan

Mamta has been active in the Bal Samuh of her village since childhood; as she grew up she became a member of the Adolescent group. She has represented the state playing school volleyball. She challenged child marriage in her family and was also successful in stopping her own marriage. Since the last two years she works in a Health project alongside studying for her graduation. She has trained as a grassroots Football coach and also trains adolescent girls in football. She has also been undertaking tracking and monitoring of young mothers who have delivered for the first or second time.

From East Zone:

Name : Priyanka Murmu, Age : 19 years, Saraikela, Jharkhand

Priyanka Murmu resides in Samanpur village in Nimdih block of Saraikela district of Jharkhand. She is studying in class XII and is a Peer Educator of adolescent group. She is a very active participant in her group activities and also popular among her friends for her leadership skills and interpersonal relationships. A very good artist in herself, she has created few artworks depicting social messages.

She has actively participated in the “Ab Meri Baari” campaign led by Dasra in the year 2019. She has a good understanding of Sexual, Reproductive and Health issues, education etc. She is one of the Girl Champions who led this campaign in Saraikela and presented their charter of demand before District Administration. Priyanka is known in her village and many times, she has raised her voice for their rights, girls’ education and demanded for quality education. She is very concerned about the status of girls in her village and has advocated their issues to village level institutions like VLCPC, SMC etc. She has also taken the lead role in addressing menstrual hygiene practices and awareness / sensitization among communities about critical issue like child marriage. She strongly believes that girls should be provided equal opportunities and have access to quality education, health services and livelihood opportunities to improve the quality of their lives.

परिशिष्ट 4

List of Facilitating Organisations

S. No.	Names of Facilitating Organisations
1	Aaina
2	Association for Advocacy and Legal Initiatives (AALI)
3	Abhivyakti Media for Development Nashik
4	ActionAid Association
5	Agrini
6	Alfa Education Society
7	Alwar Mewat Institute of Education and Development (AMIED)
8	Anchal
9	Anhad Pravah
10	Arogya Agam
11	Association for Promoting Social Action (APSA)
12	Association for Social and Human Awareness (ASHA)
13	AWARD
14	Badlao Foundation
15	Bihar Ambedkar Student Forum
16	Bangalore Rural Educational and Development Society (BREADS)
17	Breakthrough
18	Bihar Pradesh Yuva Parishad (BPYP)
19	Child Development Foundation (CDF)
20	Chayya
21	Centre for Social Education and Development (CSED)
22	Child In Need Institute (CINI)
23	Children Believe
24	CHITHRA Don Bosco, Chitradurga
25	Child Rights Trust (CRT)
26	Centre for Youth and Social Development (CYSD)
27	Diksha Foundation
28	Don Bosco Makkalalaya, Mysuru
29	Don Bosco Yadgir
30	Don Bosco, Devadurga
31	BOSCO Bangalore
32	DBCLM Davangere-(Don Bosco Child Labour Mission)
33	Don Bosco Hospet
34	Don Bosco Bidar
35	Don Bosco Pyar Kalaburagi
36	Don Bosco Yuvakara Grama, Ramanagara
37	Finding Foundation
38	Fofid Foundation
39	Foster Care Society Udaipur
40	Girls Not Brides

41	Good Foundation
42	Gramya
43	Himanshu Gupta, Child Rights Defender
44	International Centre for Research on Women (ICRW)
45	IGS, Tejaswini Project
46	Integrated Rural Community Development Society (IRCDS)
47	Jago Foundation
48	Jan Sarokar
49	Multi Art Association / MAA Foundation (MAA)
50	Mahila Jan Adhikar Samiti (MJAS)
51	Mahila Mukti Sansthan (MMS)
52	Mamta Sanstha
53	Milaan Foundation
54	National Alliance of Women Odisha (NAWO)
55	Navachar Sansthan
56	Nirantar
57	Parivar Vikas Chandrashekhar Nagar
58	Patang
59	People for Change
60	People's Action for Development (PAD)
61	Pragati Juvak Sangha (PJS)
62	Pravah
63	Pravah Jaipur Initiative
64	Rajsamand Jan Vikas Sansthan
65	Restless Development
66	Rubaroo
67	Rupayani
68	Sadbhavana Trust
69	Sakar
70	Sathee
71	Sahyogini
72	Sakthi – Vidiyal
73	Seva Bharti
74	Shabnam Aziz (Child Rights Activist)
75	Shaishav
76	Shiv Shiksha Samiti Ranoli (SSSR)
77	Sinduartola Gramodaya Vikas Vidyalaya (SGVV)
78	Shramjivi Mahila Samity (SMS)
79	Sri Nrusingha Dev Anchalika Yuba Parisada (SNDAYP)
80	Srijan Foundation
81	Society for People's Education and Development (SPEECH)
82	Srijan Foundation
83	Synergy Sansthan
84	The Concerned for Working Children (CWC)
85	The YP Foundation (TYPF)
86	The Hunger Project (THP)
87	Uttari Rajasthan Cooperative Milk Union Ltd (URMUL)

88	Vikalp Sansthan (Bihar)
89	Vikalp Sansthan (Rajasthan)
90	Vikash Sadan
91	Viraj
92	Vishakha Sanstha
93	Yeh Ek Soch Foundation
94	Youth Council for Development Alternatives (YCDA)
95	Youth Ki Awaaz
96	Youth Service Centre (YSC)

Annexure V

List of Endorsers

S.No.	Name	Organisation
1	Swagata Raha	Consultant Restorative Justice and Legal Affairs, ENFOLD
2	Ashika Shetty	Member- Child Welfare Committee 2 for Girls, Bengaluru Urban
3	Ayesha Sinha	Talash
4	Dr. Lakshmi Lingam	Tata Institute of Social Sciences
5	Richa Audichya	Jan Chetna Sansthan
6	Sejal Dand	ANANDI- Area Networking and Development Initiatives
7	Brij Mohan	SAARD Reodar
8	Rajmani	Jan Vikas Sansthan
9	Dr. O. P. Kulhari	CULP
10	Shameem Abbasi	Grameen Vikas Sansthan
11	Khushboo Jain	Social Researcher

12	Nidhi Agarwal	Ayaad Foundation
13	Vilas Bhongade	Vidarbha Molakreen Sanghatna
14	Rajdev Chaturvedi	Gramin Punarnriman Sansthan
15	Rajendra Shukla	Guru Kripa Sewa Sansthan
16	Shishupal	PPRASAR
17	Vimala Maurya	Mass Rural Development Institute
18	Arlene Manoharan	Enfold Proactive Health Trust
19	Brijmohan Sunita	SARD Sansthan
20	Rekha Chauhan	Mahila Sawrojgar Samiti (MSS).
21	Ravi Yadav	ABHILASHA
22	Suheil Tandon	Pro Sport Development
23	Sanjay Rai	Aim Trust
24	L. K. Das	PRAYAS
25	Dr. Madhumita Das	Gender, Sexuality and Rights Advocate Consultant
26	Deep Purkayastha	Praajak
27	Jamilur Rahman	Birbhumir Grameen Unnayan Society (BIGUS)
28	Baitali Ganguly	Jabala Action Research Organisation
29	Mita Basu Roy	Abha Mission for Social Health and Education
30	Saurav Sikdar	Madhabilata - The Fight For Her Justice

31	Yusra Khan	Yellow Streets
32	Bharti Ali	HAQ: Centre for Child Rights
33	Nishit Kumar	Centre for Social and Behaviour Change Communication
34	Rahima Khatun	Nari O Sishu Kalyan Kendra
35	Gayatri Sharma	WomenPowerConnect (WPC)
36	Amritanjali	Rupayani
37	Rubina Patel	Ruby Social Welfare Society (RSWS)
38	Rekha Singh	Vishwas Sansthan
39	Jagat Narain	Manav Sewa Kendra
40	Raja Menon	Jeevika Development Society
41	Renu Khanna	Sahaj
42	Vanitha Nayak Mukherjee	Independent Researcher and Gender Expert
43	Ramneek Banga	Development Practitioner
44	Madhu Mehra	Partners for Law and Development
45	Enakshi Ganguly	Co- Founder, HAQ and honorary professor, National Law University, Odisha
46	Razia Ismail Abbasi	India Alliance for Child Rights